स्वच्छ भारत
एक कदम स्वच्छता की ओर

150 YEARS OF CELEBRATING THE MAHATMA

अभिव्यक्ति

राजभाषा ई–पत्रिका

भारत प्रतिभूति मुद्रण तथा मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड

गतिविधिक झलकियाँ

निगम कार्यालय में हिन्दी सप्ताह का आयोजन

अभिव्यक्ति

राजभाषा ई–पत्रिका

संरक्षक

बी.जे. गुप्ता

महाप्रबंधक (मा.सं.)

संपादक

अजय कुमार यादव

उप प्रबंधक (मा.सं.)

संपादक मंडल

अनुराग शर्मा

हिन्दी अनुवादक

रश्मि कौशिक

कार्यालय सहायक (रा.भा.)

पत्रिका में प्रकाशित सभी रचनाओं में व्यक्त विचारों एवं तथ्यों के लिए रचनाकार/लेखक स्वयं जिम्मेदार है। संपादक मंडल का उनसे सहमत होना जरूरी नहीं है।

अनुक्रमणिका

क्र.सं.	विषय	पृष्ठ सं.
01	संदेश	1-5
02	संरक्षक की कलम से	6
03	संपादकीय	7
04	एसपीएमसीआईएल के नैतिक मूल्य/आचारनीति	8-9
05	राजभाषा के रूप में हिन्दी का विकास, महत्त्व तथा प्रकाश की दिशाएँ	10-11
06	कोविड-19	12
07	अनुवाद का अर्थ, क्षेत्र एवं उसकी समस्याएँ	13-14
08	योग - प्राचीनतम पद्धति	15-16
09	कार्यशाला में प्रयुक्त होने वाले सामान्य हिंदी अंग्रेजी वाक्यांश	17
10	हमारी राष्ट्रभाषा है हिन्दी	18
11	आत्मनिर्भर भारत स्वतंत्र भारत	19
12	रोजगारविहीन भारत	20-21
13	अभिव्यक्ति का संकट	22
14	आज के समय में सोशल मीडिया	23-24
15	सौर ऊर्जा	25-26
16	क्या जी.डी.पी. में वृद्धि देश के सम्पूर्ण विकास का सूचक है ?	27-29
17	समय प्रबंधन ही जीवन प्रबंधन है	30
18	घर एक छोटा सा घरौंदा	31
19	कार्य संतोष पर एक विचार	32-33
20	साक्षरता द्वारा महिलाओं के लिये समानता	34-35
21	भक्ति-समर्पण श्रद्धा का पथ	36
22	वास्तविक शिक्षा का स्वरूप	37-38
23	एक मज़बूत और सुरक्षित साइबर प्रणाली : वर्तमान की अपरिहार्य आवश्यकता	39-40
24	गतिविधिक झलकियाँ	41-42

"प्रत्येक व्यक्ति का यह कर्त्तव्य है कि वह राष्ट्रभाषा का विकास करे। हिंदी का प्रसार सागर की तरह विशाल होना चाहिए जिसमें भारत की भाषाएं भी अपना सही स्थान बना सकें। राष्ट्रभाषा किसी प्रांत या किसी समुदाय तक सीमित नहीं होती।"

–सरदार बल्लभ भाई पटेल

भाषा की सरलता, सहजता और शालीनता अभिव्यक्ति को सार्थकता प्रदान करती है। हिंदी ने इन पहलुओं को खूबसूरती से समाहित किया है।

–नरेंद्र मोदी (प्रधान मंत्री)

भारतीय सभ्यता की अविरल धारा प्रमुख रूप से हिंदी भाषा से ही जीवंत तथा सुरक्षित रह पाई है।

–अमित शाह (गृह मंत्री)

तृप्ति पी. घोष
TRIPTI P. GHOSH
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
Chairman & Managing Director

भारत प्रतिभूति मुद्रण तथा मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड
मिनिरत्न श्रेणी–I, सीपीएसई
(भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्वाधीन)
Security Printing and Minting Corporation of India Ltd.
Miniratna Category-I, CPSE
(Wholly owned by Government of India)

संदेश

यह बेहद हर्ष की बात है कि राजभाषा के विकास एवं इसकी प्रगति के लिए निगम कार्यालय द्वारा राजभाषा ई–पत्रिका ''अभिव्यक्ति'' का प्रथम संस्करण प्रस्तुत किया जा रहा है। हिन्दी को भावनात्मक धरातल से उठाकर एक ठोस एवं व्यापक स्वरूप प्रदान करने के उद्देश्य से, तथा इसके आधुनिक ज्ञान को अंगीकार करके इसे विकसित बनाने हेतु, निगम मुख्यालय द्वारा राजभाषा ई–पत्रिका को प्रकाशित करने की संकल्पना की गई है।

संघ सरकार की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन एवं प्रचार–प्रसार में हिंदी पत्रिकाओं की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इससे कार्यालयों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को अपनी साहित्यिक प्रतिभा को प्रदर्शित करने का एक सुगम मंच भी प्राप्त होता है।

कार्यालयी जीवन में राजभाषा हिन्दी की प्रगति एवं इसके प्रोत्साहन के लिए कार्य करना हम सभी का उत्तरदायित्व है, हमें इसे पूरे जोश एवं उत्साह के साथ पूरा करना चाहिए। राजभाषा हिन्दी व्यक्तिगत सृजनात्मक शक्ति को विकसित करने में भी मदद प्रदान करती है। इसके प्रचार–प्रसार पर अधिक बल देकर हम देश एवं निगम को राजभाषा हिन्दी की अभिव्यक्ति की शक्ति के बारे में जानकारी दे सकते हैं।

बहुत स्वभाविक है कि प्रथम ई–पत्रिका के इस प्रथम संस्करण में अनेक खामियां हो सकती है। मेरा सभी हिंदी प्रेमियों से अनुरोध है कि इस ई–पत्रिका को बेहतर बनाने में अपने सुझाव हिंदी विभाग को प्रेषित करें और अपनी रचनाओं एवं प्रविष्टियों के योगदान द्वारा प्रकाशित होने वाली सामग्री को और अधिक दिलचस्प व उपयोगी बनाने में सहायता करें।

निगम कार्यालय की राजभाषा ई–पत्रिका के सफल प्रकाशन हेतु मेरी शुभकामनाएँ।

तृप्ति घोष

(तृप्ति पी. घोष)

16वीं मंजिल, जवाहर व्यापार भवन, जनपथ, नई दिल्ली–110001
16th Floor, Jawahar Vyapar Bhawan, Janpath, New Delhi - 110001

अजय कुमार श्रीवास्तव
AJAI KUMAR SRIVASTAV
निदेशक (तकनीकी)
DIRECTOR (TECHNICAL)
भारत प्रतिभूति मुद्रण तथा मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड
(वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन)
Security Printing and Minting Corporation of India Ltd.
(Under Ministry of Finance, Government of India)

संदेश

निगम कार्यालय की राजभाषा ई–पत्रिका ''अभिव्यक्ति'' के प्रथम संस्करण के प्रकाशित होने पर मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। राजभाषा हिन्दी के प्रचार–प्रसार के लिए हिन्दी पत्रिका का योगदान अनुकरणीय है। ई–पत्रिका में निगम के सभी संवर्गो के सदस्यों ने लेख, कविता, विचार आदि को कलमबद्ध कर अपने योगदान की प्रस्तुति देकर समन्यवता एवं लेखन में रूचि का उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत किया है। राजभाषा के प्रचार एवं प्रसार का कार्य एक संगठित प्रयत्न है।

राजभाषा हिन्दी, देश का गौरव है। इसके प्रचार एवं प्रसार की जिम्मेदारी हम सब की है। हम अपनी मातृ भाषा का जितना सम्मान करेंगे उतना ही हमारे सम्मान में वृद्धि होगी। हमें अपने कार्य के साथ ही राजभाषा हिन्दी के सभी कार्यक्रमों व ई–पत्रिका के प्रकाशन हेतु सक्रिय योगदान देना चाहिए। मुझे खुशी है कि ई–पत्रिका के माध्यम से हम राजभाषा हिन्दी के प्रति अपने उत्तरदायित्व और सम्मान को भी एक सुन्दर स्वरूप में व्यक्त कर पाते हैं।

हमारे निगम कार्यालय की ई–पत्रिका के इस प्रथम संस्करण में अधिकारियों एवं कर्मचारियों की मौलिक रचनाएं जैसे लेख, कविताएं इत्यादि सम्मिलित हैं। राजभाषा विभाग द्वारा केंद्र सरकार के कार्यालयों में हिंदी के क्रियान्वयन को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक वर्ष राजभाषा कार्यक्रम जारी किया जाता है, जिसमें हिंदी कार्यों की अनेक मदें तथा उनका लक्ष्य निर्धारित किया जाता है। आज हम, आप सभी के सहयोग से इन लक्ष्यों को लगभग पूरा करने के मुकाम पर हैं जिसे मैं आप सभी की अर्थात निगम की उपलब्धि के रूप में देखता हूँ।

मैं निगम कार्यालय की राजभाषा ई–पत्रिका के प्रथम संस्करण के सफल प्रकाशन में आप सभी के महत्वपूर्ण योगदान को बधाई देता हूँ। मैं आशा करता हूँ कि भविष्य में भी राजभाषा ई–पत्रिका के उत्कृष्ट प्रकाशन में आप सभी का सहयोग सदैव मिलता रहेगा।

(अजय कुमार श्रीवास्तव)

एस.के. सिन्हा
S.K. Sinha
निदेशक (मानव संसाधन)
Director (Human Resources)

भारत प्रतिभूति मुद्रण तथा मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड
(भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्वाधीन)
Security Printing and Minting Corporation of India Ltd.
(Wholly owned by Government of India)

संदेश

हमारे निगम द्वारा राजभाषा हिंदी को हमेशा ही बढ़ावा दिया गया है, उसी कड़ी में निगम कार्यालय की राजभाषा हिन्दी की ई–पत्रिका ''अभिव्यक्ति'' के प्रथम अंक का प्रकाशन किया जा रहा है जो हम सब के लिए बड़े गर्व और प्रसन्नता का विषय है।

यह इसलिए भी खुशी की बात है कि कोरोना महामारी के कारण उत्पन्न हुए अनिश्चित कठिनाइयों के बीच ई–माध्यम से पत्रिका का प्रकाशन आज के नए दौर की आवश्यकताओं का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। राजभाषा हिंदी का प्रचार–प्रसार हमारे लिए केवल संवैधानिक दायित्व ही नहीं है, अपितु देश की अर्थव्यवस्था के साथ–साथ जन–जीवन को समृद्ध बनाने में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है।

उदारीकरण, भूमंडलीकरण और उपभोक्तावाद के इस वर्तमान युग में उद्योग और व्यापार को बढ़ावा देने के लिए चारों तरफ प्रतिस्पर्धा का वातावरण बना हुआ है। ऐसे वातावरण में जो भाषा विश्व स्तर पर अपनी उपयोगिता और व्यापकता को सिद्ध करने में समर्थ होगी, वही अपना स्थान सुनिश्चित करेगी। आज हिन्दी भारत और भारतेतर विश्व के बीच संपर्क का स्वर्ण सूत्र है और निकट भविष्य में हिन्दी को वैश्विक स्वीकृति प्राप्त होने की अत्यंत संभावनाएँ है। आज हिन्दी का वैश्विक विस्तार जहां स्वर्णिम भविष्य के प्रति आशान्वित करता हैं, वहीं भारतीय संस्कृति, आध्यात्मिकता, नैतिकता और सार्वभौम दर्शन को विश्व में प्रसारित करने में सहायक भी सिद्ध रहा है।

निगम कार्यालय द्वारा प्रकाशित इस ई–पत्रिका में निगम के अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा प्रस्तुत अनमोल मौलिक रचनाएं उनकी लेखन प्रतिभा एवं राजभाषा हिंदी के प्रति निष्ठा को प्रदर्शित करती हैं। मैं हृदय से उन सभी का आभार प्रकट करता हूँ जिन्होने इस पत्रिका को सुंदर बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

अतः मुझे पूर्ण विश्वास है कि ई–पत्रिका में प्रकाशित विभिन्न लेख/रचनाएं, रूचिकर एवं ज्ञानवर्धक होगी। साथ ही, मैं उन सभी को हार्दिक अभिनंदन देना चाहूँगा जिनके योगदान से इस ई–पत्रिका का सफल प्रकाशन हुआ है।

एस.के. सिन्हा

16वीं मंजिल, जवाहर व्यापार भवन, जनपथ, नई दिल्ली–110001
16th Floor, Jawahar Vyapar Bhawan, Janpath, New Delhi - 110001

अजय अग्रवाल
AJAY AGARWAL
निदेशक (वित्त)
Director (Finance)

भारत प्रतिभूति मुद्रण तथा मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड
(वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन)
Security Printing and Minting Corporation of India Ltd.
(Under Ministry of Finance, Government of India)

संदेश

राजभाषा हिंदी के विकास की तरफ बढ़ते प्रयासों में से एक प्रयास एसपीएमसीआईएल की प्रथम राजभाषा हिंदी ई–पत्रिका ''अभिव्यक्ति'' के रूप में प्रस्तुतीकरण के लिए सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को बधाई। भारत सरकार के प्रत्येक सरकारी संस्थान में राजभाषा हिंदी का कार्यान्वयन प्रगामी रूप से सुनिश्चित करने के लिए कई प्रयास किए जा रहे हैं। इन्हीं प्रयासों में से एक है राजभाषा हिन्दी की ई–पत्रिका का प्रकाशन। इस संस्करण के माध्यम से निगम में कार्यरत कर्मियों की अभिव्यक्ति को एक महत्वपूर्ण दृष्टिकोण से देखना मेरे लिए एक सुखद अनुभव के साथ– साथ गौरव की बात भी है।

भारत सरकार, राजभाषा विभाग द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करना हमारा सबसे बड़ा उद्देश्य है और यह भी बेहद सराहनीय एवं प्रशंसनीय है कि इस उद्देश्य को प्राप्त करने हेतु हमें सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों का सहयोग प्राप्त है।

हम सभी का यही भरपूर प्रयास रहता है कि कार्यालयीन कार्य में हिन्दी का सरल एवं सुबोध प्रयोग किया जाये ताकि निगम से जुड़े सभी अधिकारी एवं कर्मचारी इसके लाभ से राजभाषा हिन्दी का गौरव बढ़ाए एवं इसे प्रगति की ओर अग्रसर करें। अनेकता में एकता को चरितार्थ करते हुए हिन्दी ने भारत की विभिन्न प्रादेशिक भाषाओं को वाणी प्रदान करने का महत्वपूर्ण कार्य किया है। वास्तव में जब हम हिन्दी के विकास की बात करते हैं तो इसे इसके व्यापक अर्थ में लिया जाना चाहिए, इसका आशय देश की सभी भाषाओं और अनगिनत बोलियों का विकास भी है।

आशा है आपको एसपीएमसीआईएल की प्रथम राजभाषा हिंदी ई–पत्रिका पसंद आएगी।

शुभकामनाओं सहित

अजय अग्रवाल

(अजय अग्रवाल)
निदेशक (वित्त)

16वीं मंजिल, जवाहर व्यापार भवन, जनपथ, नई दिल्ली–110001
16th Floor, Jawahar Vyapar Bhawan, Janpath, New Delhi - 110001

ममता सिंह, भा.पु.से.
MAMTA SINGH, I.P.S.
मुख्य सतर्कता अधिकारी
Chief Vigilance Officer

भारत प्रतिभूति मुद्रण तथा मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड
(वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन)
Security Printing and Minting Corporation of India Ltd.
(Under Ministry of Finance, Government of India)

सत्यमेव जयते

संदेश

एसपीएमसीआईएल की हिन्दी ई–पत्रिका ''अभिव्यक्ति'' का सर्वप्रथम संस्करण हमारे प्रतिष्ठित संस्थान की राजभाषा हिंदी और अन्य गतिविधियों का दर्पण है। इसके प्रथम अंक के प्रकाशन पर निगम कार्यालय से जुड़े सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को बधाई।

इस ई–पत्रिका की भूमिका एक ऐसे मंच के रूप में सराहनीय है, जिसके माध्यम से निगम में कार्यरत सभी अधिकारी तथा कर्मचारी, अपने ज्ञान एवं अपने अमूल्य विचारों को अभिव्यक्त कर सकते हैं और ऐसी रचनात्मक चर्चा का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं जिससे अन्य लोगों को प्रेरणा एवं प्रोत्साहन मिले। निगम को राजभाषा के श्रेष्ठ कार्यान्वयन हेतु ऐसी ई–पत्रिका की आवश्यकता थी। इसके फलस्वरूप, निगम अब अपने समकक्षों में सर्वोपरि स्थान अर्जित करने हेतु अग्रिम है।

राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(3) के अंतर्गत सभी कागजात द्विभाषी रूप में जारी किए जाते हैं। राजभाषा वार्षिक कार्यक्रम के अनुसार हिंदी पत्राचार, टिप्पणी आदि के लक्ष्य को लगभग शतप्रतिशत पूरा किए जाने का प्रयास किया जाता है। राजभाषा ई–पत्रिका में निगम के अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा प्रदान की गई हिंदी रचनाओं से राजभाषा के प्रचार–प्रसार के प्रति उनकी वचनबद्धता स्पष्ट होती है।

अंत में, मैं उन सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को हार्दिक बधाई देती हूँ जिन्होने इस ई–पत्रिका के प्रथम अंक को इतना सुंदर एवं सुबोध बनाने में अपनी रचनाओं को प्रस्तुत किया तथा इसके साथ मैं आशा करती हूँ कि आप सभी का सहयोग इस ई–पत्रिका की सफलता हेतु भविष्य में भी प्राप्त होगा।

शुभकामनाओं सहित

ममता सिंह

(ममता सिंह, भा.पु.से.)
मुख्य सतर्कता अधिकारी

संरक्षक की कलम से

अपार हर्ष के साथ एसपीएमसीआईएल निगम कार्यालय की राजभाषा ई–पत्रिका ''अभिव्यक्ति'' का प्रथम अंक आप सभी के समक्ष प्रस्तुत है। हिंदी पत्रिकाएं कार्यालयों में सरकारी काम–काज हिंदी में करने हेतु सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाती है तथा अधिकारियों/कर्मचारियों की सृजनात्मक अभिव्यक्ति के लिए भी एक मंच प्रदान करती है। राजभाषा ई–पत्रिका का प्रथम अंक कर्मचारियों के हिंदी प्रेम और उनकी लेखन क्षमता का प्रतिबिंब है।

अधिकारियों/कर्मचारियों में हिंदी में अपने कार्यालयीन कार्य करने की इच्छाशक्ति भी है जिसका प्रमाण उनके द्वारा किए जा रहे मूल कार्य हैं जिसमें हिंदी का प्रयोग किया जा रहा है। हमारा सौभाग्य है कि हम ऐसे संस्थान में कार्य करते हैं जो मुद्रा, बैंक नोट, प्रतिभूति कागज, पासपोर्ट, वीजा एवं अन्य प्रतिभूति उत्पादों का उत्पादन करता है तथा हमसे जुड़े ज्यादातर लोग हिन्दी के साथ विभिन्न भाषाओं में अपने भाव अभिव्यक्त करते है। जब हम हिंदी एवं अन्य भाषाओं में काम करते हैं तो न सिर्फ सेवाएं बेहतर मिलती है बल्कि हम राष्ट्र निर्माण के कार्य में अपने भी कदम बढ़ाते हैं।

मैं उन सभी रचनाकारों का, जिन्होंने निगम कार्यालय की राजभाषा ई–पत्रिका हेतु लेख/कविताएं आदि भेजकर ई–पत्रिका में अपना बहुमूल्य योगदान दिया है, साथ ही, राजभाषा ई–पत्रिका के प्रकाशन में सभी सहयोगियों का आभार व्यक्त करता हूं जिनके प्रयास से राजभाषा ई–पत्रिका का प्रथम अंक अस्तित्व में आया।

मुझे उम्मीद है कि निगम कार्यालय की राजभाषा ई–पत्रिका का प्रथम अंक राजभाषा कार्यान्वयन में सहायक होगा तथा यह अंक आपको पसंद आएगा।

शुभकामनाओं सहित

बी.जे. गुप्ता
महाप्रबंधक (मा.सं.)

संपादकीय

एसपीएमसीआईएल निगम कार्यालय की राजभाषा ई–पत्रिका ''अभिव्यक्ति'' का प्रथम अंक आपके समक्ष प्रस्तुत करते हुए मुझे अपार हर्ष का अनुभव हो रहा है। इस पत्रिका में हमने मुख्य रूप से निगम के अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा प्रस्तुत आलेखों व कविताओं को यथासम्भव एकत्र करने का प्रयास किया है। यह हम सभी के लिए अत्यन्त गौरव का विषय है कि हमारा निगम प्रतिभूति उत्पादों के उत्पादन में अनेक नये आयामों को प्राप्त कर रहा है और निरन्तर विस्तार एवं प्रगति कर रहा है। पठन–पाठन व्यक्तित्व विकास में तो सहायक है ही, साथ ही यह किसी संस्थान की छवि के निर्माण में भी अपना विशेष महत्व रखता है। इसके लिए स्तरीय ज्ञान से भरपूर सामग्री की पत्र–पत्रिकाओं की नितांत आवश्यकता होती है।

मैं उन सभी लेखकों/रचनाकारों के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, जिन्होंने विभिन्न प्रकार के साहित्य व ज्ञानवर्द्धक लेखों, रचनाओं, कविताओं, कहानियों आदि द्वारा इस ई–पत्रिका के प्रकाशन ने अपना बहुमूल्य योगदान दिया है। मैं इस ई–पत्रिका के सम्पादक मण्डल का भी आभारी हूँ, जिनके सहयोग के बिना इस पत्रिका का प्रकाशन सम्भव नहीं था।

एसपीएमसीआईएल राजभाषा ई–पत्रिका के प्रथम अंक का प्रकाशन हमारा प्रथम प्रयास है। यदि कोई त्रुटि शेष रह गई हो तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं।

आप सभी की प्रतिक्रियाओं की प्रतीक्षा रहेगी।

अजय कुमार यादव
उप प्रबंधक (मा.सं.)

एसपीएमसीआईएल के नैतिक मूल्य/आचारनीति

मानव को सामाजिक प्राणी होने के नाते कुछ सामाजिक मर्यादाओं का पालन करना पड़ता है। समाज की इन मर्यादाओं में सत्य, अहिंसा, परोपकार, विनम्रता एवं सदाचार आदि अनेक गुण होते हैं। एसपीएमसीआईएल संभुप्रता संबंधी कार्यों में संलग्न हैं, राष्ट्र की आर्थिक दशा में इसके उत्पादों का विशेष महत्व है। यहां की इकाइयाँ लगभग 200 वर्षों से भी अधिक पुरानी हैं, किसी भी संस्थान के लिए इतनी पुरानी इकाई का होना अपने आप में संस्थान की दक्षताओं को दर्शाता है।

यहां के कर्मचारी/मानववृद्ध की संख्या वर्ष 2012 से लगातार कम हो रही है, इसके बावजूद प्रत्येक वर्ष उत्पादन के लक्ष्यों में बढ़ोतरी हुई है, और उत्पादन के इन लक्ष्यों को एसपीएमसीआइएल ने समयानुसार पूरा किया। इन कारणों से एसपीएमसीआईएल ने एक संपन्न निगम के रूप में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। एसपीएमसीआईएल का हर अधिकारी/कर्मचारी देश के प्रति समर्पित हैं एसपीएमसीआईएल की सफलता के लिये यह अत्यधिक महत्वपूर्ण है। नैतिकता, निगम मुख्यालय एवं इकाइयों के सभी कर्मियों के व्यवहार पर, कम्पनी के सभी स्तरों पर, बिना किसी अपवाद के लागू होती है। इसके अंर्तगत एसपीएमसीआईएल की सम्पूर्ण गतिविधियाँ अनुसंधान से, नवप्रवर्तन और हमारे उत्पादों की डिज़ाइन से उनके उत्पादन और विपणन तक, मानव संसाधन से हमारे संगठित प्रयासों तक और वित्त से निरन्तर विकास तक, संचार और सार्वजनिक मामलों से डिजिटल तक सभी आते हैं। आपको यह हमेशा याद रखना चाहिए कि:

आप उदाहरण स्थापित करते है कि एसपीएमसीआईएल की ख्याति, हम सभी का विश्वास है, जो हममें से प्रत्येक पर निर्भर है।

एसपीएमसीआईएल सभी कर्मचारियों/अधिकारियों से यह अपेक्षा करता है कि वे सम्मानजनक और खुले तरीके से एक साथ काम करें। टीम कार्य को बढ़ावा दिया जाना चाहिए और सफलताओं और विफलताओं पर एक दूसरे के साथ चर्चा की जानी चाहिए। हम सभी को अन्य लोगों के विचारों को श्रेय देना चाहिए और अन्यों के योगदान की प्रशंसा भी करनी चाहिए। हमें उदारता से सुनना चाहिए और समूह के गोपनीयता नियमों के अधीन, आवश्यकता के अनुसार सूचना साझा करनी चाहिए।

हमारा संगठन समाज और प्रकृति के प्रति अपनी जिम्मेदारियों पर भी उचित जोर देता हैं और इसके लिए कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व, ऐसे अनेकों कार्य करता हैं जिससे सभी जरूरतमंदों को फायदा होता हैं।

हमारे निगम का सबसे बड़ा कर्तव्य निष्पक्ष, ईमानदार और नैतिक होने से है । हर कर्मचारी खुद ऐसा ही होना चाहता है और एक ऐसे संगठन के लिए काम करने की इच्छा रखता है जो अपनी प्रथाओं में निष्पक्ष और नैतिक हो।

ईमानदारी मजबूत नैतिक सिद्धांतों और मूल्यों का एक सुसंगत जोड़ है व मूल्यों के सकारात्मक प्रभाव का कोई अंत नहीं है । सत्यनिष्ठा के उच्च मानकों को अपनाने की आवश्यकता है। एसपीएमसीआईएल, देश के लिए प्रतिभूति उत्पादों के उत्पादन में लगे एक संवेदनशील संगठन के रूप में

भारत सरकार की ओर से संप्रभु कार्य करता है, इस संगठन के मूल्य कई चीजों पर आधारित हैं - गुणवत्ता, चेतना, गोपनीयता, समय पालन, संगठन के प्रति वफादारी, संगठन संस्कृति के साथ एकीकरण, समाज और पर्यावरण के लिए प्रतिबद्धता, ग्राहक केंद्रित, विविध क्षमताओं का प्रभावी संश्लेषण, स्वीकृति, सहानुभूति, कंपनी की सुविधाओं और सुविधाओं का कोई दुरुपयोग नहीं, रचनात्मक और नवरीति, प्रक्रिया गुणवत्ता और प्रक्रियाओं की सुरक्षा, कंपनी के संसाधनों की बचत, साझा उद्देश्य, टीम वर्क और प्रोएक्टिव भागीदारी, अपनेपन की भावना इत्यादि । सुरक्षा के प्रावधानों से सदा चेतन रहें व कोई भी नुकसान न होने दें । संगठन में अनैतिकता एवं भ्रष्टाचार के लिए शून्य सहिष्णुता है तथा ऐसे कर्मचारी एवं हालात अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिए उत्तरदायी है।

अंत में मैं अपने शब्दों को इसी बात पर विराम देना चाहूँगा कि लोगों और नेतृत्व को एकजुट करते हुए मूल्यों से प्रेरित कोई भी संगठन सदैव आगे बढ़ता हैं एवं नई मंजिलों को पाता हैं। नैतिकता और मूल्यों द्वारा निर्देशित निगम हमेशा तत्पर रहता है । साथ ही, मैं अपेक्षा भी करता हूँ कि सभी कर्मचारी हर समय कार्यस्थल में और बाहर व्यवहार और आचरण को आदर्शरूप दें चूंकि वे 24X7 एसपीएमसीआईएल का प्रतिनिधित्व करते हैं । एसपीएमसीआईएल का कर्तव्य अच्छी गुणवत्ता वाले प्रतिभूति उत्पादों, सिक्कों, स्मारक सिक्कों का निर्माण करना तो है ही इसके साथ, आपसी सौहाद्र एवं मैत्रीपूर्ण व्यवहार से आपसी समनव्य एवं उत्कर्ष ग्राहक हित, भी बेहद आवश्यक है।

एस.के. सिन्हा
निदेशक (मा.सं.)

राजभाषा के रूप में हिन्दी का विकास, महत्त्व तथा प्रकाश की दिशाएँ

राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने एक बार यह विचार व्यक्त किया था कि राजभाषा बनने के लिए किसी भाषा में नीचे दिए गए पांच गुण होने अवश्य होने चाहिए -

1. उसे सरकारी अधिकारी आसानी से सीख सकें
2. वह समस्त भारत में धार्मिक, आर्थिक और राजनीतिक संपर्क के माध्यम के रूप में प्रयोग के लिए सक्षम हो,
3. वह अधिकांश भारतवासियों द्वारा बोली जाती हो,
4. सारे देश को उसे सीखने में आसानी हो,
5. ऐसी भाषा को चुनते समय आरजी या क्षणिक हितों पर ध्यान न दिया जाए।

उनका विचार था कि भारतीय भाषाओं में केवल हिन्दी ही एक ऐसी भाषा है, जिसमें उपर्युक्त सभी गुण मौजूद हैं। महात्मा गांधी तथा अन्य नेताओं के उद्‌गारो का परिणाम यह हुआ कि जब भारतीय संविधान सभा में संघ सरकार की राजभाषा निश्चित करने का प्रश्न आया तो विशद विचार मंथन के बाद 14 सितंबर, 1949 को हिन्दी को भारत संघ की राजभाषा घोषित किया गया। भारत का संविधान 26 जनवरी, 1950 को लागू हुआ और तभी से देवनागरी लिपि में लिखित हिन्दी विधिवत भारत संघ की राजभाषा है।

किसी भी स्वाधीन देश के लिए, जो महत्व उसके राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का है, वही उसकी राजभाषा का है। प्रजातांत्रिक देश में जनता और सरकार के बीच भाषा की दीवार नही होनी चाहिए और शासन का काम जनता की भाषा में किया जाना चाहिए। जब तक विदेशी भाषा में शासन होता रहेगा, तब तक कोई देश सही अर्थों में स्वतंत्र नहीं कहा जा सकता। प्रत्येक व्यक्ति अपनी भाषा में ही स्पष्टता और सरलता से अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सकता है। नूतन विचारों का स्पंदन और आत्मा की अभिव्यक्ति, मातृभाषा में ही सम्भव है। राजभाषा देश के भिन्न भिन्न भागों को एक सूत्र में पिराने का कार्य करती है इसके माध्यम से जनता न केवल अपने देश की नीतियों और प्रशासन को भलीभांति समझ सकती है, बल्कि उसमें स्वयं भी भाग ले सकती है। प्रजातंत्र की सफलता के लिए ऐसी व्यवस्था अत्यंत आवश्यक है। विश्व के सभी स्वतंत्र देश और नवोदित राष्ट्रों ने इस तथ्य को स्वीकार किया है कि उनका उत्थान, उनकी अपनी भाषाओं के माध्यम से ही सम्भव है। रूस, जापान, जर्मनी, आदि सभी राष्ट्र इसके प्रमाण हैं। भारतीय संविधान सभा इस तथ्य से पूर्णतयः परिचित थी। इसलिए यद्यपि अंग्रेज़ी के समर्थकों ने उसकी अंतर्राष्ट्रीय ख्याति और समृद्धि की बड़ी वकालत की, फिर भी राष्ट्रीय नेताओं ने देश के बहुसंख्यक वर्ग द्वारा बोली जाने वाली और देश के अधिकांश भाग में समझी जाने वाली भाषा हिन्दी को ही भारत संघ की राजभाषा बनाया।

हिन्दी को संघ की राजभाषा 1950 में ही घोषित कर दिया गया था, किंतु केंद्र सरकार के कामों में हिन्दी को अंग्रेजी का स्थान देने के लिए गंभीरता से प्रयास केंद्र सरकार द्वारा 1960 और विशेषकर राजभाषा अधिनियम, 1963 के पास होने के बाद से प्रारंभ किया गया। उस समय यह अनुभव किया गया कि हिन्दी के माध्यम से प्रशासन का कार्य चलाने के लिए कुछ प्रारंभिक तैयारियों की आवश्यकता पड़ेगी, जैसेः-

1. प्रशासनिक, वैज्ञानिक, तकनीकी एवं विधि शब्दावली का निर्माण।
2. प्रशासनिक एवं विधि साहित्य का हिन्दी में अनुवाद।
3. अहिन्दीभाषी सरकारी कर्मचारियों का हिन्दी प्रशिक्षण।
4. हिन्दी टाइपराइटरों एवं अन्य यांत्रिक साधनों की व्यवस्था आदि।

इन सभी कार्यों के बावजूद, हम इस बात को झुठला नहीं सकते कि राजभाषा हिन्दी के निष्पादन का स्तर अब भी राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार के लक्ष्यों के अनुसार नहीं है।

मैं इस लेख के माध्यम से सभी पाठकों का ध्यान हिन्दी भाषा के 8 'प्र' पर भी आकर्षित करना चाहूँगा। उपरोक्त 8 'प्र' में से 5 'प्र' ऐसे है जिन्हे कार्यालयीन हिन्दी और प्रबंधन के समन्वय की आवश्यकता हैं। यह 5 "प्र" निम्नलिखित है : 1. प्रशिक्षण 2. प्रयोग 3. प्रसार 4. प्रचार 5. प्रबंधन। इन सभी के अलावा ऐसे 3 "प्र; भी है जो राजभाषा हिन्दी को अग्रसर एवं इनके उपयोगकर्ताओं को प्रोत्साहित करने से संबंधित है। यह तीन "प्र' जो क्रमशः 6. प्रेरणा 7. प्रोत्साहन और अंतिम 8. पुरस्कार है।

हिन्दी का उत्थान मूलतः कार्यालीन स्तर एवं अन्य स्तर पर इस भाषा को आत्मसात करने में है, जब हम सभी कार्य, नोटिंग/ड्राफ्टिंग इत्यादि हिन्दी में करेंगे और उसका अनुवाद विपरीत रूप से अंग्रेजी में होने लगे तब समझिएगा कि सही माएने में हिन्दी का विकास हुआ है।

उपरोक्त 8 "प्र" का उपयोग/प्रयोग प्रभावशाली ढंग से करने पर हम निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त कर सकेंगे।

अंत में मैं अपने लेख का विराम केवल इस बिन्दु पर करना चाहूँगा कि हिन्दी का विकास, इसका उपयोग, इसकी महत्ता किसी एक सरकार, संस्थान या समाज की जिम्मेदारी नहीं है अपितु यह समग्र भारत एवं इसमें रहने वाले लोगों की वह आशा है जिससे हम हिन्दी को भारत की ही नहीं विश्व की सर्वाधिक बोलने एवं लिखने वाली भाषा बनाने में सक्षम हो सके।

अजय कुमार यादव
उप प्रबंधक (मा.सं.)

कोविड-19

आज के इस **covid-19** के दौर को देखते हुए हमें अपने स्वास्थय का ध्यान रखना भी जरूरी है जैसे बीते कुछ माह को यदि हम देखे तो हम सभी लॉक डाउन के दौर से गुजरे है जिसमे सभी जनमत अपने-अपने घर में ही रहे व सरकार के आदेशों का पूर्णतः पालन किया, जिससे सभी लोग अपने नियमित व्यायाम से भी दूर हो गए और जब घर पर सभी घर के सदस्य उपस्थित हो तो फिर, घर पर नए-नए व्यंजन की मांग सभी सदस्यो द्वारा होती ही है, और जब रोज़ नए नए व्यंजन हम सभी ने इस लोक डाउन के दौरान बनाए व खाएं है तो ज़ाहिर है सभी के स्वास्थय पर भी इसका प्रभाव पड़ा है क्योंकि नियमित व्यायाम से जो हम सब दूर हो गए। कुछ जन में रोज़ नए-नए व्यंजन खाने से बैड कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ी, तो कुछ का मोटापा परंतु हम में से कुछ लोग ऐसे भी है जिन्होने नियमित व्यायाम नहीं छोड़ा ओर लॉक डाउन के बाद एक अलग ही रूप में फिट नजर आए है, ऐसे में जब अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गयी है, तो अभी सरकारी आदेशनुसार हमें कुछ सावधानिया बरतनी है जैसे की भीड़ भाड़ वाली जगह में ना जाए, मास्क पहने व दो गज की दूरी बनाए रखे, जब भी आप घर से बाहर निकलें।

आयुर्वेद में ऐसे कई उपाय हैं, जिनको अपना कर आप अपने शरीर के इम्यून सिस्टम को बेहतर कर सकते हैं, साथ ही अपने घर तथा आस-पास के वातावरण को कोरोना वायरस के प्रकोप से भी मुक्त रख सकते हैं :

1. **COVID-19** वायरस के प्रभाव से बचने के लिए सबसे जरूरी है कि आप नियमित तौर पर गुनगुना पानी पियें।
2. शरीर के इम्यून सिस्टम को दुरूस्त रखने के लिए आपको नियमित तौर पर उचित मात्रा में आंवला, एलोवेरा, गिलोय, नींबू आदि का जूस पीना चाहिए।
3. रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए आप पानी में तुलसी रस की कुछ बूंदें डालकर पी सकते हैं।
4. गर्म दूध में हल्दी मिलाकर पीने से भी रोग प्रतिरोधक क्षमता बेहतर होती है।
5. इम्यून सिस्टम की बेहतरी के लिए अष्टादसांग काढ़ा, गुडूच्यादि काढ़ा , अमृतउत्तरम काढ़ा या सिरिशादी काढ़ा का सेवन करना भी उत्तम रहेगा।
6. घर और आस-पास के वातावरण को स्वच्छ रखने के लिए आप नियमित तौर पर नीम की पत्तियों, गुग्गल, राल, देवदारु और दो कपूर को साथ में जलाएं। उसके धुएं को घर और आस-पास में फैलने दें।
7. इसके अलावा आप चाहें तो गुग्गल, वचा, इलायची, तुलसी, लौंग, गाय का घी और खांड को किसी मिट्टी के पात्र में रखकर जलाएं और उसके धुएं को घर और आस-पास में फैलने दें।
8. इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाए रखने के लिए आप नियमित तौर पर तुलसी की 5 पत्तियां, 4 काली मिर्च, 3 लौंग, एक चम्मच अदरक का रस शहद के साथ ले सकते हैं।
9. चाय पीने के शौकीन हैं, तो आपको नियमित रूप से 4 या 5 तुलसी के पत्ते, 5 से 7 काली मिर्च, थोड़ी दालचीनी और उचित मात्रा में अदरक डालकर बनाई गई चाय पीनी चाहिए। यह आपको रोगों से बचने में मदद करेगी।
10. इन सबके अलावा आपको कोरोना वायरस से बचने के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय के जारी किए गए दिशा निर्देशों का पालन करना चाहिए।

अजय कुमार
बुलियन लेखाकार
सेप-266

अनुवाद का अर्थ, क्षेत्र एवं उसकी समस्याएँ

अनुवाद का अर्थ

भारत में अनुवाद की परम्परा प्राचीन काल से ही चली आ रही है। कहते हैं अनुवाद उतना ही प्राचीन है जितनी कि भाषा। आज 'अनुवाद' शब्द हमारे लिए कोई नया शब्द नहीं है। विभिन्न भाषायी मंच पर, साहित्यिक पत्रिकाओं में, अखबारों में तथा रोजमर्रा के जीवन में हमें अक्सर 'अनुवाद' शब्द का प्रयोग देखने-सुनने को मिलता है। साधारणत: एक भाषा-पाठ में निहित अर्थ या संदेश को दूसरे भाषा-पाठ में यथावत् व्यक्त करना अर्थात् एक भाषा में कही गई बात को दूसरी भाषा में कहना अनुवाद है।अनुवाद एक भाषिक क्रिया है। भारत जैसे बहुभाषा-भाषी देश में अनुवाद का महत्त्व प्राचीन काल से ही स्वीकृत है।

आधुनिक युग में जैसे-जैसे स्थान और समय की दूरियाँ कम होती गईं वैसे-वैसे द्विभाषिकता की स्थितियों और मात्रा में वृद्धि होती गई और इसके साथ-साथ अनुवाद का महत्त्व भी बढ़ता गया। अन्यान्य भाषा-शिक्षण में अनुवाद विधि का प्रयोग न केवल पश्चिमी देशों में वरन् पूर्वी देशों में भी निरन्तर किया जाता रहा है। बीसवीं शताब्दी में देशों के बीच दूरियाँ कम होने के परिणामस्वरूप विभिन्न वैचारिक धरातलों और आर्थिक, औद्योगिक स्तरों पर पारस्परिक भाषिक विनिमय बढ़ा है और इस विनिमय के साथ-साथ अनुवाद का प्रयोग और अधिक किया जाने लगा है।

अनुवाद के क्षेत्र

आज की दुनिया में अनुवाद का क्षेत्र बहुत व्यापक हो गया है। शायद ही कोई क्षेत्र बचा हो जिसमें अनुवाद की उपादेयता को सिद्ध न किया जा सके। इसलिए यह कहना अतिशयोक्ति न होगी कि आधुनिक युग के जितने भी क्षेत्र हैं सबके सब अनुवाद के भी क्षेत्र हैं, चाहे न्यायालय हो या कार्यालय, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी हो या शिक्षा, संचार हो या पत्रकारिता, साहित्य का हो या सांस्कृतिक सम्बन्ध आदि।

न्यायालय : अदालतों की भाषा प्राय: अंग्रेजी में होती है। इनमें मुकद्दमों के लिए आवश्यक कागजात अक्सर प्रादेशिक भाषा में होते हैं, किन्तु पैरवी अंग्रेजी में ही होती है। इस वातावरण में अंग्रेजी और प्रादेशिक भाषा का बारी-बारी से परस्पर अनुवाद किया जाता है।

सरकारी कार्यालय : आज़ादी से पूर्व हमारे सरकारी कार्यालयों की भाषा अंग्रेजी थी। हिन्दी को राजभाषा के रूप में मान्यता मिलने के साथ ही सरकारी कार्यालयों के अंग्रेजी दस्तावेजों का हिन्दी अनुवाद ज़रूरी हो गया। इसी के मद्देनज़र सरकारी कार्यालयों में राजभाषा प्रकोष्ठ की स्थापना कर अंग्रेजी दस्तावेज़ों का अनुवाद तेजी से हो रहा है।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी : देश-विदेश में हो रहे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के गहन अनुसंधान के क्षेत्र में तो सारा लेखन-कार्य उन्हीं की अपनी भाषा में किया जा रहा है। इस अनुसंधान को विश्व पटल पर रखने के लिए अनुवाद ही एक मात्र साधन है। इसके माध्यम से नई खोजों को आसानी से सबों तक पहुँचाया जा सकता है। इस दृष्टि से शोध एवं अनुसंधान के क्षेत्र में अनुवाद बहुत ही महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।

शिक्षा : आधुनिक युग में विज्ञान, समाज-विज्ञान, अर्थशास्त्र, भौतिकी, गणित आदि विषय की पाठ्य-सामग्री अधिकतर अंग्रेजी में लिखी जाती है। हिन्दी प्रदेशों के विद्यार्थियों की सुविधा के लिए इन सब ज्ञानात्मक अंग्रेजी पुस्तकों का हिन्दी अनुवाद तो हो ही रहा है, अन्य प्रादेशिक भाषाओं में भी इस ज्ञान-सम्पदा को रूपान्तरित किया जा रहा है।

जनसंचार : जनसंचार के क्षेत्र में अनुवाद का प्रयोग अनिवार्य होता है। इनमें मुख्य हैं समाचार-पत्र, रेडियो, दूरदर्शन। ये अत्यन्त लोकप्रिय हैं और हर भाषा-प्रदेश में इनका प्रचार बढ़ रहा है। आकाशवाणी एवं दूरदर्शन में भारत की सभी प्रमुख भाषाओं में समाचार प्रसारित होते हैं। इनमें प्रतिदिन 22 भाषाओं में खबरें प्रसारित होती हैं। इनकी तैयारी अनुवादकों द्वारा की जाती है।

साहित्य : साहित्य के क्षेत्र में अनुवाद वरदान साबित हो चुका है। प्राचीन और आधुनिक साहित्य का परिचय दूरदराज के पाठक अनुवाद के माध्यम से पाते हैं। 'भारतीय साहित्य' की परिकल्पना अनुवाद के माध्यम से ही संभव हुई है। विश्व-साहित्य का परिचय भी हम अनुवाद के माध्यम से ही पाते हैं।

अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध : अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध अनुवाद का सबसे महत्त्वपूर्ण क्षेत्र है। विभिन्न देशों के प्रतिनिधियों का संवाद मौखिक अनुवादक की सहायता से ही होता है। प्राय: सभी देशों में एक दूसरे देशों के राजदूत रहते हैं और उनके कार्यालय भी होते हैं। राजदूतों को कई भाषाएँ बोलने का अभ्यास कराया जाता है। फिर भी देशों के प्रमुख प्रतिनिधि अपने विचार अपनी ही भाषा में प्रस्तुत करते हैं। उनके अनुवाद की व्यवस्था होती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि अन्तर्राष्ट्रीय मैत्री एवं शान्ति को बरकरार रखने की दृष्टि से अनुवाद की भूमिका बहुत ही महत्त्वपूर्ण है।

संस्कृति : अनुवाद को 'सांस्कृतिक सेतु' कहा गया है। मानव-मानव को एक दूसरे के निकट लाने में, मानव जीवन को अधिक सुखी और सम्पन्न बनाने में अनुवाद की महत्त्वपूर्ण भूमिका है। 'भाषाओं की अनेकता' मनुष्य को एक दूसरे से अलग ही नहीं करती, उसे कमजोर, ज्ञान की दृष्टि से निर्धन और संवेदन शून्य भी बनाती है। 'विश्वबंधुत्व की स्थापना' एवं 'राष्ट्रीय एकता' को बरकरार रखने की दृष्टि से अनुवाद एक तरह से सांस्कृतिक सेतु की तरह महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है।

अनुवाद की समस्याएं और चुनौतियां

अनुवाद एक अत्यंत कठिन दायित्व है। रचनाकार किसी एक भाषा में सर्जना करता है, जबकि अनुवादक को एक ही समय में दो भिन्न भाषा और परिवेश/वातावरण को साधना होता है।अनुवाद की प्रामाणिकता, भाषा और सटीकता पर प्रश्नचिह्न लगाए जाने के बावजूद यह स्पष्ट है कि अनुवाद वर्तमान समाज की अत्यन्त महत्त्वपूर्ण आवश्यकता बन गया है। इसी कारण आज अनुवाद पर स्वतंत्र विधा के रूप में विचार किया जा रहा है। वर्तमान वैज्ञानिक तथा औद्योगिक उन्नति तथा संचार और क्रान्ति के युग में अनुवाद और भी अधिक महत्त्वपूर्ण हो गया है। टेक्नोलॉजी तथा सूचना के क्षेत्र में प्रत्येक राष्ट्र और समाज शीघ्रातिशीघ्र उन्नति के लिए प्रयासरत है। आज के प्रतिस्पर्धात्मक युग में यह अनिवार्य हो गया है कि विभिन्न भाषाओं में तुरन्त अनुवाद की व्यवस्था उपलब्ध हो। आधुनिक सामाजिक व्यवस्था में त्वरित अनुवाद के महत्त्व को देखते हुए कम्प्यूटरीकृत अनुवाद के क्षेत्र में भी अनुसंधान किए जा रहे हैं।

आमतौर से, एक भाषा की किसी सामग्री का दूसरी भाषा में रूपान्तर ही अनुवाद है। इस तरह अनुवाद का कार्य है - एक भाषा में व्यक्त विचारों को दूसरी भाषा में व्यक्त करना है। लेकिन इसे व्यक्त करना सरल काम नहीं है। हर एक भाषा की अपनी विशेषताएं होती हैं, जो अन्य भाषा से कुछ या पूर्णतः भिन्न होती है। अनुवाद करते समय अनुवादक को यह ध्यान रखना होगा कि मूल भाषा के भाव को अनूदित भाषा में पूर्णतः उतारा गया हो।

अनुवाद की समस्या द्विभाषकीय है, इसके लिये उन दो भाषाओं का पूर्ण ज्ञान अपेक्षित है जिससे और जिसमें अनुवाद होता है। यह समस्या मूलतः दुभाषिये की है। इसका तात्पर्य यह है कि अनुवादक का दो भाषाओं पर इतना अधिकार होना चाहिये कि वह दोनों पक्षों का ठीक-ठीक ज्ञान रखते हुए संबोधित कर सके और समझा सके।प्रत्येक विषय की अपनी भाषा है, उसके खास पारिभाषिक शब्द हैं जिनकी बारीकी का पता उस विषय के जानकार को ही होता है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि हर भाषा की अपनी संरचनात्मक व्यवस्था और सामाजिक-सांस्कृतिक परम्परा होती है। इसके साथ-साथ विभिन्न प्रयोजनों में प्रयुक्त होने के कारण उसका अपना स्वरूप भी होता है। यही कारण है कि अनुवाद की प्रक्रिया में स्रोत-भाषा और लक्ष्य-भाषा की समतुल्यता के बदले उसका न्यूनानुवाद या अधिअनुवाद ही हो पाता है।

अनुराग शर्मा
हिन्दी अनुवादक

योग – प्राचीनतम पद्धति

ऋग्वेद में योग की व्याख्या करते हुए यह बताया गया है कि यह वह शक्ति है जिससे हम अपने मन, मस्तिष्क और शरीर को एक सूत्र में पिरो सकते हैं ।

ऐसा माना जाता है कि जब से सभ्यता शुरू हुई है तभी से योग किया जा रहा है। योग के विज्ञान की उत्पत्ति हजारों साल पहले हुई थी, धर्मों या आस्था के जन्म लेने से भी काफी पहले हुई थी। योग विद्या में शिव को पहले योगी या आदि योगी या पहले गुरू के रूप में माना जाता है। कई हजार वर्ष पहले, हिमालय में कांति सरोवर झील के तटों पर आदि योगी ने अपने ज्ञान को अपने प्रसिद्ध सप्तऋषि को प्रदान किया था। शिव के 7 शिष्यों ने ही योग को संपूर्ण धरती पर प्रचारित किया । योग के मुख्य स्रोत, जिनसे हम योग की प्रथाओं तथा संबंधित साहित्य के बारे में सूचना प्राप्त करते हैं, वे हैं वेद, उपनिषद, स्मृतियां, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, पाणिनी, महाकाव्यों के उपदेश, पुराण आदि । गुरु-शिष्य परम्परा के द्वारा योग का ज्ञान परम्परागत तौर पर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को मिलता रहा है ।

भारत में इसकी शुरुआत व प्रचार प्रसार का श्रेय महर्षि पतंजलि को दिया जाता है । उनके अनुसार ईश्वर और मनुष्य के बीच सम्बन्ध स्थापित करने के लिए, योग एक प्रमुख साधन है । महर्षि पतंजलि के बाद, अनेक ऋषियों एवं योगाचार्यों ने अपनी प्रथाओं एवं साहित्य के माध्यम से योग के परिक्षण एवं विकास में काफी योगदान दिया। 1700 - 2000 ईसवी के बीच की अवधि को आधुनिक काल के रूप में माना जाता है जिसमें महान योगाचार्यों – रमन महर्षि, रामकृष्ण परमहंस, परमहंस योगानंद, विवेकानंद आदि ने राज योग के विकास में योगदान दिया है।

योग – अभ्यास का एक प्राचीन रूप है जो भारतीय समाज में हजारों साल पहले विकसित हुआ था और उसके बाद से लगातार इसका अभ्यास किया जा रहा है। इसमें किसी व्यक्ति को सेहतमंद रहने के लिए और विभिन्न प्रकार के रोगों और अक्षमताओं से छुटकारा पाने के लिए विभिन्न प्रकार के व्यायाम शामिल हैं। यह ध्यान लगाने के लिए,एक मजबूत विधि के रूप में भी माना जाता है जो मन और शरीर को आराम देने में मदद करता है। दुनियाभर में योग का अभ्यास किया जा रहा है। शरीर, मन और आत्मा को नियंत्रित करने में योग मदद करता है। असंतोष, क्रोध, अनिद्रा और ध्यान केंद्रित जैसी गंभीर समस्याओं का निदान है योग । एक सर्वेक्षण के अनुसार विश्व के लगभग 2 अरब लोग योग का अभ्यास करते हैं।

योग की कई शाखाएँ है जैसे राज योग, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग और हठ योग । लेकिन जब ज़्यादातर लोग भारत या विदेशों में योग के बारे में बात करते हैं, तो उनका तात्पर्य आमतौर पर हठ योग होता है, जिसमे ताड़ासन, कपालभाती, अनुलोम विलोम, सूर्य नमस्कार जैसे कुछ व्यायाम शामिल होते हैं।

वैसे तो योग का जनक भारत है। परंतु विदेशों में भी इसके विस्तार और लोकप्रियता से हम अनभिज्ञ नहीं हैं। उत्तरी गोलार्द्ध में 21 जून का एक विशेष महत्व है। 21 जून, साल का सबसे लम्बा दिन होता है। आध्यात्मिक कार्यों की दृष्टि से इसका एक अलग ही महत्व है। इसलिए साल 2014 में भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र में इस दिन को International Yoga Day के रूप में मनाने की पहल की थी। उनकी कोशिशों की वजह से UN ने हर साल 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। 193 सदस्य देशों में से 177 देशों ने भारत के इस प्रस्ताव का समर्थन किया था। भारत ने 2014 में जब 'विश्व योग दिवस' का प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र महासभा के समक्ष रखा, तब रूस उसके सबसे उत्साही सह प्रायोजकों में से एक था।

योग भगवान द्वारा मानव सभ्यता को दिया गया वरदान है। यह सच में किसी चमत्कार से कम नहीं है कि जिन बीमारियों का वर्तमान चिकित्सा पद्धिती में कोई इलाज नहीं है आज योग के माध्यम से हम उन पर विजय पा रहे हैं। यह शारीरिक और मानसिक लाभ तो देता ही है साथ ही हमें आत्मज्ञान भी कराता है। यह हमारे अंदर प्रकृति के लिए सम्मान भी उत्पन्न करता है। हमें इस धरोहर को सीमित न रखकर इसका उपयोग मानव जीवन के विकास के लिए करना चाहिए।

(दीप्ति कौड़ा)
निदेशक (मा. सं.) के
कार्यपालक सचिव

कार्यालय में प्रयुक्त होने वाले सामान्य अंग्रेजी-हिन्दी वाक्यांश

1.	As discussed/as spoken	चर्चा के अनुसार
2.	I agree	मैं सहमत हूँ
3.	Put up on the file	फाइल पर प्रस्तुत करें
4.	I have no objection	मुझे कोई आपत्ति नहीं है
5.	As proposed/suggested	यथा प्रस्तावित
6.	I agree with 'A'above	मैं ऊपर 'क' से सहमत हूँ
7.	Do the needful	आवश्यक कार्रवाई करें
8.	Action may be taken as proposed	यथा प्रस्तावित कार्रवाई की जाए
9.	Matter is under consideration	मामला विचाराधीन है
10.	I fully agree with office note	कार्यालय की टिप्पणी से मैं पूर्णतः सहमत हूँ
11.	Needful done	आवश्यक कार्रवाई की जा चुकी है
12.	Approved	अनुमोदित
13.	No action is required	किसी कार्रवाई की आवश्यकता नहीं है
14.	Office to note and comply	कार्यालय ध्यान दें और इसका अनुपालन करें
15.	Order may be issued	आदेश जारी कर दिया जाए
16.	Please expedite the return of this file	कृपया इस फाइल को शीघ्र लौटाएं
17.	Please put up with previous papers	कृपया इसे पिछले कागजों के साथ प्रस्तुत करें
18.	Submitted for information	सूचनार्थ प्रस्तुत
19.	Submitted for order	आदेशार्थ प्रस्तुत
20.	Submitted for perusal	अवलोकनार्थ प्रस्तुत
21.	Spoken	बात कर ली
22.	Seen and returned	देखकर वापिस किया जाता है
23.	Self contained note	स्वतः पूर्ण टिप्पणी
24.	Show cause notice	कारण बताओ नोटिस
25.	So far as possible	यथा संभव
26.	The file in question is placed below	अपेक्षित फाइल नीचे रखी है
27.	The suggestion is quite in order	यह सुझाव बिल्कुल ठीक है
28.	Copy enclosed for ready reference	तुरंत संदर्भ के लिए प्रतिलिपि संलग्न
29.	As directed	निर्देशानुसार
30.	In pursuance of	के अनुसरण में

हमारी राष्ट्रभाषा है हिन्दी

हमारी राष्ट्रभाषा है हिन्दी, लगती जैसे नई दुल्हन के माथे की बिंदी

मैने पूछा ऐ हिन्दी तुम क्यो बनी बिंदी

तुमको तो बनना था माँग का सिंदूर

फिर किसने किया मजबूर

वो बोली

मेरी एक छोटी बहन है अँग्रेजी

विदेश मे पली बढ़ी और खेली

आजकल चारों ओर, उसका ही है शोर

उसके कारण, माता को मॉम और पिता को कहे है डेड

प्रणाम को हाय और बिछड़ने को कहे है बाय,

क्या बोलू उसने मेरा सुख चैन छीना है,

देखना है और कितना ये कड़वा घूंट पीना है,

हिन्दी दिवस से चलकर आज पखवाड़े पर आई हूँ,

अब तो सिंदूर तभी लगाऊँगी जब हिंदी वर्ष मनाऊँगी।

गणेश शर्मा
पर्यवेक्षक (सूचना प्रौद्योगिकी)

आत्मनिर्भर भारत स्वतंत्र भारत

प्राचीन काल में भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था साथ ही, वह वर्तमान भारत से ज्यादा बड़ा था। मगर अन्य देशों के राजाओं के हमलों व लूटपाट के कारण तथा ब्रिटिश शासन के कारण भारत को बहुत नुकसान हुआ। साथ ही अंग्रेज़ो के जाने के बाद भारतीयो को एक दर्दनाक दृश्य देखना पड़ा, भारत का दो हिस्सो में विभाजन। इस कारण हमारा देश सामाजिक तथा आर्थिक रूप से कमजोर हो गया। इस नुकसान की भरपाई करने में भारत को कई वर्ष लग गए।

आत्मनिर्भरता एक जरूरी तथा अमूल्य गुण है यदि हम आत्मनिर्भर हैं तो हम आसमान की ऊंचाइयों को भी छू सकते हैं। आत्मनिर्भरता का मतलब है, अपनी क्षमताओं पर पूरा विश्वास होना तथा अपनी सहायता खुद करना। आजादी के 73 साल बाद भारत इतनी उन्नति कर चुका है कि अब वो आत्म निर्भर बन सके। इस अभियान में देश की जनता का सबसे बड़ा योगदान होगा। यदि हमारा देश आत्मनिर्भर बनता है, तो उसकी अर्थव्यवस्था और भी ज्यादा तेज गति से बढ़ेगी। भारत को सबसे बड़े लोकतन्त्र वाला देश कहा जाता है। हमारे देश में सरकार, जनता के द्वारा चलायी जाती है। इसलिए हर अभियान में जनता का सहयोग आवश्यक है। हम सभी लोग स्वदेशी सामान खरीदकर तथा स्वदेशी चीजें अपनाकर आत्मनिर्भर भारत अभियान में अपना योगदान दे सकते हैं।

अब हमारे देश ने विकास की गति पकड़ ली है। अब हमारा देश जूट, दूध तथा दालों के उत्पादन में पूरी दुनिया में सबसे आगे हैं, साथ ही भारतीय सेना दुनिया की दूसरी बड़ी सेना हैं। भारत सरकार ने कई अभियान शुरू किए, जिनमें से कई अभियान सफल भी हुए जैसे 2014 में हमारा देश पोलियो जैसी घातक बीमारी से मुक्त हो गया। ऐसे ही हमारे राष्ट्रीय पशु बाघों की संख्या दोगुनी करने में भी भारत सफल हुआ है। 12 मई 2020 को भारत सरकार द्वारा एक अभियान शुरू किया गया जिसका नाम है ''आत्मनिर्भर भारत''। इसके अंतर्गत भारत में अलग–अलग उद्योग धंधे शुरू किए जाने की बात है जिससे हमारे देश में आत्मनिर्भरता बढ़ेगी और हम आत्मनिर्भर होंगे।

जैसा कि सभी को पता है कोरोना महामारी के कारण सभी देशों को बहुत नुकसान हो रहा है तथा हमारा देश भी इस संकट से जूझ रहा है, मगर देखा जाये तो हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। इसी प्रकार अगर हम इस महामारी के नुकसान को न देखकर इसके लाभ देखें तो हमें पता चलेगा कि कोरोना ने हमारे देश को अपना रूख डिजिटल इंडिया की तरफ मोड़ने का मौका दिया है।

आत्मनिर्भर भारत का सपना तभी पूरा हो सकेगा जब हम सब में एकता होगी, जिस प्रकार हम लोग अपने अधिकारों का पूरा लाभ उठाते हैं, उसी प्रकार हमें देश के प्रति अपनी जिम्मेदारियाँ भी निभानी चाहिए देश को आत्मनिर्भर बनाना भी हम सब भारतवासियों की ज़िम्मेदारी हैं। जब हमारा देश आत्मनिर्भर बनेगा तो दुनिया कहेगी...

''भारत देश महान हैं, जनता उसकी शान है''

विनोद कुमार गुप्ता
परामर्शदाता (सचिवीय सहायक)
सीमएडी सचिवालय

रोजगारविहीन भारत

एक रोजगारविहीन बढ़ती अर्थव्यवस्था प्रत्येक के लिए कार्य करने के मूलभूत आधारों में परिवर्तन की ओर संकेत करती है। कुछ कामगार अच्छा कार्य प्रदर्शन करते हैं, जैसाकि उनके पास बढ़ती औद्योगिक आवश्यकताओं के अनुकूल कौशल एवं प्रशिक्षण होता है। अन्य काम चाहने वाले लोग दीर्घावधिक बेरोजगारी या अल्प-रोजगार की स्थिति का सामना करते हैं, और काम पाने में अक्षम होते हैं जब तक कि वे नवीन कौशल ना प्राप्त कर लें। जैसे-जैसे एक देश की जनसंख्या बढ़ती है, लोगों को अपने परिवार एवं स्वयं की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए काम या नौकरी की आवश्यकता होती है। आर्थिक प्रगति के लिए यह आवश्यक है कि उन सभी को रोजगार प्रदान किया जाए जो काम पाना चाहते हैं। बिना किसी पर्याप्त आर्थिक संवृद्धि के, लोग, जो काम की तलाश में हैं, रोजगार पाने में अक्षम होंगे। किसी भी आर्थिक दशा में, यह आवश्यक है कि की तलाश करने वाले व्यक्ति को सर्वप्रथम कोई रोजगारोन्मुखी कौशल प्राप्त करना होगा। यदि नौकरी की पर्याप्त आपूर्ति होती है तो कम आकर्षक कौशल वाले लोगों के लिए भी अधिक अवसर खुलेंगे। यदि भारत की आर्थिक स्थिति पर दृष्टिपात किया जाए तो पता चलता है कि पिछले कुछ वर्षों से व्यापक आर्थिक विस्तार हुआ है, व्यापार तथा निर्यात में बढ़ोत्तरी हुई है, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) बढ़ा है, मुद्रास्फीति की दर स्थिर हुई है, और रुपये में मजबूती आई है, परन्तु एक बड़ा सूचक है जो इंडिया शाइनिंग या विकास को धता बताता है, और वह है रोजगार। पिछले कुछ वर्षों में भारत ने रोजगारविहीन विकास को देखा है। उदारीकरण के बाद से सेवा क्षेत्रों में विकास के कारण रोजगार तथा आय में भी वृद्धि देखी गई है। एक रोजगारविहीन बढ़ती अर्थव्यवस्था में, बेरोजगारी की उच्च स्थिति बनी रहती है जबकि अर्थव्यवस्था की प्रगति हो रही हो। यह प्रवृत्ति तब उत्पन्न होती है जब सापेक्षिक रूप से बड़ी संख्या में लोग अपनी नौकरियां गवां देते हैं और उस बेरोजगारी, अल्प रोजगार और कार्यबल में शामिल नए लोगों को अवशोषित करने के लिए अपर्याप्त व्यवस्था होती है।

एक रोजगारविहीन बढ़ती अर्थव्यवस्था के पूर्वानुमान प्रत्येक के लिए जटिल होते हैं। वह अर्थव्यवस्था जो बिना नौकरियां प्रदान किए विस्तारित होती है, निवेशकों, कर्मचारियों तथा उद्योगों के लिए नवीन आर्थिक व्यवस्था को अपनाना चुनौतीपूर्ण होता है। जब अर्थव्यवस्था की प्रगति उच्च बेरोजगारी सहित होती है, जिसका अर्थ होता है कि अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक परिवर्तन हो रहे हैं। यह संरचनात्मक बदलाव कुछ को अवसर प्रदान करता है और कुछ को परेशानी में डाल देता है। एक रोजगारविहीन बढ़ती अर्थव्यवस्था के पूर्वानुमान प्रत्येक के लिए जटिल होते हैं। वह अर्थव्यवस्था जो बिना नौकरियां प्रदान किए विस्तारित होती है, निवेशकों, कर्मचारियों तथा उद्योगों के लिए नवीन आर्थिक व्यवस्था को अपनाना चुनौतीपूर्ण होता है। जब अर्थव्यवस्था की प्रगति उच्च बेरोजगारी सहित होती है, जिसका अर्थ होता है कि अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक परिवर्तन हो रहे हैं। यह संरचनात्मक कुछ को अवसर प्रदान करता है और कुछ को परेशानी में डाल देता है।

रोजगारविहीन विकास के कारणों में से मुख्य हैं श्रम कानूनों के चलते तथा रोजगार सृजन से किसी भी प्रकार से लाभान्वित न होने के कारण अधिकतर उद्योगों ने रोजगार सृजन की ओर ध्यान देना कम कर दिया तथा औद्योगिक विवादों के कानून भी एक कारण हैं, जिससे व्यवस्थित उद्योगों में रोजगार में 25 प्रतिशत तक कमी आई। कठोर रोजगार संरक्षण कानून के कारण उद्योग घरानों ने रोजगार देने के अन्य विकल्पों को चुन लिया जिससे रोजगार देने से आने वाली उलझनों से बचा जा सके। भारत में निर्माण कार्यों की प्रकृति रोजगार के लिए अच्छी नहीं है। अधिकतर रोजगार प्रशिक्षित लोगों के लिए ही उत्पन्न होते हैं, ये व्यवस्था विकास में तो सहायक होती है परन्तु रोजगार सृजन में नहीं। तकनीकों के आने के बाद बहुत-सा कार्य स्व-चालित हो गया है तथा श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध होने के अवसर और कम हो गए हैं। अतः भारत के उद्योग आज भी पक्षपाती रवैया अपनाए हुए हैं जिससे अधिकाधिक लाभ और न्यूनतम उत्तरदायित्व हो। भारत में अति लघु, लघु तथा मध्यम उद्यम बहुत अधिक रोजगार उत्पन्न करने वाले क्षेत्रा माने जाते हैं, परन्तु इस प्रकार के उद्योग स्वयं ही कई परेशानियों से जूझ रहे हैं, साथ ही साथ रोजगार सृजन के कारण इन्हें किसी प्रकार का लाभ भी प्राप्त नहीं हो पाता। कर प्रोत्साहन, सब्सिडी, मूल्यÐास, भत्ता आदि कितना पैसा उद्योग में लगाया गया है, के आधार पर मिलता है न कि रोजगार सृजन कितना किया है, के आधार पर। शिक्षा-व्यवस्था में कमी तथा कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण में कमी के चलते भी रोजगारों में कमी देखने को मिलती है। पिछले कुछ वर्षों की यदि बात करें तो हम रोजगार सृजन की प्रवृत्ति का अंदाजा लगा सकते हैं। रोजगारविहीन विकास की स्थिति को ठीक करने के लिए केंद्र सरकार को मात्रा विकास को ही मद्देनजर रखते हुए योजनाएं न बना कर ऐसी योजनाएं बनानी होंगी जिससे रोजगार सृजन हो। इस बात को भी अब स्वीकार करना होगा कि व्यवस्थित निर्माण क्षेत्रा एक समय बड़े स्तर पर रोजगार प्रदत्त क्षेत्रा था परन्तु आज स्थिति बदल चुकी है। श्रम कानूनों को सुधार की आवश्यकता है। वर्तमान श्रम कानूनों के कारण उद्योग श्रमिकों को रोजगार देने के बदले नए विकल्पों को बेहतर समझ रहे हैं क्योंकि भारत में श्रम तथा श्रमिक प्रचुरता में हैं। युवाओं को निजी व्यवसायों को आरम्भ करने के लिए प्रोत्साहित करना होगा, भले ही वो छोटे से स्तर से आरम्भ करें।

स्टार्ट-अप इंडिया तथा स्टैंड-अप इंडिया मिशन के अंतर्गत युवाओं के पास अवसर हैं कि वो अपने उद्यमों को आरम्भ कर अपने साथ-साथ औरों को भी रोजगार दे सकें। शिक्षा व्यवस्था में इस प्रकार से बदलाव लाने होंगे कि युवा तकनीकी शिक्षा प्राप्त कर उद्यमों में रोजगार पा सकें, साथ-ही-साथ श्रमिकों को भी प्रशिक्षण देने की योजना बनानी होगी। ऐसे क्षेत्रों को वरीयता देनी होगी, जिनमें रोजगार के अवसर उत्पन्न किए जा सकते हैं जैसे कि खाद्य प्रसंस्करण मुद्रा स्कीम या मुद्रा योजना जैसे योजनाओं के बारे में जनता को जागरूक कराना अत्यंत आवश्यक है जिससे गैर-कॉर्पोरेट तथा छोटे व्यापारों की वित्त आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। जिससे भारत के लघु उद्योगों, जो कि रोजगार सृजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, को विस्तार के अवसर प्रदान किए जा सकें। 'मेक इन इंडिया' को भी प्रोत्साहन की अवश्यकता है। इस मिशन में समय अवश्य लगेगा परन्तु यदि परिणाम सकारात्मक रहा तो भारत की अर्थव्यवस्था में भी विकास होता रहेगा साथ ही रोजगार सृजन भी होता रहेगा। कम वेतन पर अधिक संख्या में लोगों को रोजगार मिलना, कम लोगों को अधिक वेतन पर रोजगार मिलने से अपेक्षा बेहतर स्थिति है।

अतः भारत को ऐसे विकास से बचना होगा जो चुनिंदा लोगों तक ही समृद्धि को ले जाए, अपितु भारत का वास्तविक आर्थिक विकास उस स्थिति को माना जाएगा जब प्रत्येक व्यक्ति के पास रोजगार हो तथा प्रत्येक व्यक्ति स्वावलंबी हो। एक बड़ी जनसंख्या के चलते यह कार्य कठिन अवश्य है परन्तु असंभव नहीं।

(इन्दरदीप कौर)
प्रबन्धक (मा.सं.)

अभिव्यक्ति का संकट

आज के दौर में जहां कोराना वायरस अपना घातक प्रभाव का ताड़व नृत्य दिखा रहा है, पूरी मानव सभ्यता भयभीत एवं असहाय होकर अपने प्राणों की रक्षा के लिए हरेक पल सजग एवं सर्तक होकर प्रयत्नशील है। फिर भी हरेक परिवार अनवरत दहशत के साए में रहते हुए एवं अपने-अपने अटूट विश्वासों की आस्थाओं की शरण लेते हुए भगवान, अल्लाह एवं मसीहा आदि अन्य नामों से संबोधित आस्थाजनक राहत की मूर्ति को ध्यान में रखकर स्वस्थय जीवन की कामना में लीन है। परिणामस्वरूप विश्व की जनता में अभी अभिव्यक्ति की आजादी के स्वरूप की शैली में एक अजीब सा बदलाव दिखाई द रहा है।

पूरी कड़ी में यह उल्लेख करना होगा कि हमारी पूरी सृजनात्मक गतिविधियाँ जिसका विस्तार कवियों/लेखकों के बौधिक सूक्ष्मता एवं सोच पर निर्भर करता है, आज अधिकाशंतः संकुचित हो चुकी है एवं उनकी अभिव्यक्ति में कोरोना एवं इसके भयावह दृश्य एवं सीमाओं से परिपूर्ण है जिसका प्रभाव सकारात्मक एवं नकारात्मक हो रहा है। पहला पाठक कवियों एवं लेखकों की रचनाओं के संप्रेषित तथ्यों एवं मौलिक से जहां नए आयाम एवं अनुभवों का साक्षात्कार करता है, वहीं दूसरी तरु उनके दूसरा गढ़ गए गद्यांशों/पद्याशों से भयभीत होता है एवं उसका विस्तार भय के प्रति उसकी उपस्थिति होती है।

कोरोना ने मानवीय संवेदनाओं यथा सुख-दुख शोक आदि को इतनी बुरी तरह से प्रभावित किया है कि किसी भी कोरोनाग्रस्त नागरिक की मृत्यु पर भी शोक प्रकट करना भी नियंत्रित हो गया है एवं संक्रमण से बचने के लिए निरूपाय होकर परिवार के सदस्य संतप्त रहते हैं। सामाजिक स्तर पर प्रभावित परिवार की बहिष्कार की प्रताड़ना भी वेदनामय है। इस स्थिति में हमारी पूरी चेतना शून्य हो जाती है, जहां कोई भी अपनी बात या प्रतिक्रिया किसी उचित भाषा में अभिव्यक्त करने में सक्षम नहीं होता है।

अततः आज हमारे समाज में उस अभिव्यक्ति की कमी हो गई है जहां हमें अधिक हद तक भाषा की माधुर्यता एवं प्रचूरता से मानवीय-मूल्यों एवं संवेदनाओं की सापेक्षिक अनुभूति होती थी। परन्तु आशा करनी चाहिए कि कोराना से इस मानव जाति को मुक्ति मिलेगी एवं तदोपरान्त हमारी अनुभूतियों के संप्रेषण में नए आयाम एवं विस्तार मिलेंगे।

कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव
परामर्शदाता (रा.भा.)

आज के समय में सोशल मीडिया

कहा जाता है कि सूचना दोधारी तलवार की तरह होती है। एक ओर इसका उपयोग भ्रम और कहरता फैलाने में किया जा सकता है, तो दूसरी ओर रचनात्मक कार्यों में भी किया जा सकता है। सूचना क्रांति के इस आधुनिक दौर में सोशल मीडिया की भूमिका को लेकर हमेशा सवाल उठते रहे हैं। आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक प्रगति में सूचना क्रांति ने महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है किंतु सूचना क्रांति की ही उपज, सोशल मीडिया को लेकर उठने वाले सवाल भी महत्त्वपूर्ण हैं। ये सवाल हैं- क्या सोशल मीडिया हमारे समाज में ध्रुवीकरण की स्थिति उत्पन्न कर रहा है तथा समाज की प्रगति में सोशल मीडिया की क्या भूमिका होनी चाहिये? हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहाँ हम सूचना के न केवल उपभोक्ता है, बल्कि उत्पादक भी हैं। यही अंतर्द्वंद्व हमें इसके नियंत्रण से दूर कर देता है। प्रतिदिन लाखो-करोड़ों लोग फसेबुक पर लॉग-इन करते हैं। हर सेकेंड ट्वीटर पर ट्वीट किये जाते हैं और इंस्टाग्राम पर कई तस्वीरें पोस्ट की जाती हैं।

अगर सोशल मीडिया की बात की जाए तो हम पाते हैं कि अतीत में इस संबंध में कई प्रयोग किये गए थे। इसका यह निष्कर्ष सामने आया कि कोई व्यक्ति सिर्फ बहुमत की राय के साथ शामिल होने के कारण गलत जवाब देने के लिये तैयार था। कुछ हद तक यह धारणा ऑनलाइन फेक न्यूज के प्रभाव को भी इंगित करती है, जिसने समाज में ध्रुवीकरण के विस्तार में योगदान दिया है। सोशल मीडिया की साइट्स उत्प्रेरक की भूमिका भी निभाती है। **उदाहरण स्वरूप** ट्विटर नियमित रूप से उन लोगों के अनुसरण हेतु प्रेरित करता है जो हमारे समान दृष्टिकोण रखते हैं।

इस प्रकार हम पाते हैं कि सोशल मीडिया के प्रभाव के कारण लोगों के सोचने का दायरा संकुचित होता जा रहा है जो न केवल मतदान के समय व्यवहार में परिवर्तन लाता है बल्कि हर रोज व्यक्तिगत वार्त्ताओं में भी इसका भारी प्रभाव पड़ रहा है।

अगर सोशल मीडिया के मूल अर्थ की बात की जाए तो कंप्यूटर, टैबलेट या मोबाइल के माध्यम से किसी भी मानव संचार या इंटरनेट पर जानकारी साझा करना सोशल मीडिया कहलाता और दिनोदिन इसकी लोकप्रियता में वृद्धि हो रही है। सोशल मीडिया द्वारा विचारों, सामग्री, सूचना और समाचार को तीव्र गति से लोगों के बीच साझा किया जा सकता है। सोशल मीडिया को एक तरफ जहाँ लोग वरदान मानते हैं तो दूसरी तरफ लोग इसे एक अभिशाप के रूप में भी देखते हैं।

इसके द्वारा प्रदत्त सोशल मीडिया मार्केटिंग जैसे उपकरण द्वारा लाखों सभावित ग्राहकों तक पहुँच स्थापित की जा सकती है और समाचार का प्रेषण किया जा सकता है। सामाजिक मुद्दों पर जागरूकता उत्पन्न करने के संदर्भ में सोशल मीडिया को एक बेहतरीन उपकरण माना जाता है। इसके द्वारा समान विचारधारा वाले लोगों के साथ संपर्क भी स्थापित किया जा सकता है। विश्व के सुंदरतम कोने तक अपनी बातों को कम समय में तीव्र गति से अधिकतम लोगों तक पहुँचाने के लिये यह एक सर्वश्रेष्ठ साधन बन चुका है।

सोशल मीडिया को शिक्षा प्रदान करने के संदर्भ में एक बेहतरीन साधन माना जा रहा है। इसके द्वारा ऑनलाइन जानाकरी का तेजी से हस्तांतरण होता है। इसके द्वारा ऑनलाइन रोजगार के बेहतरीन अवसर प्राप्त होते हैं। साथ ही व्यवसाय, चिकित्सा, नीति निर्माण को प्रभावित करने में भी इसकी महत्त्वपूर्ण भूमिका होती है। वर्तमान समय में शिक्षक एवं छात्रों द्वारा फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डाइन आदि जैसे प्लेटफॉर्म का प्रयोग किया जा रहा है। इसके द्वारा शिक्षक एवं छात्रों के मध्य दूरी सिमट कर कम हो गई है। प्रोफेसर स्काइप, ट्विटर और अन्य जगहों पर इसके मदद से लाइव चैट करते हैं। सोशल मीडिया के कारण शिक्षा आसान हो गई है।

हालाँकि कई भौतिकविदों का मानना है कि सोशल मीडिया लोगों में अवसाद और चिंता के प्रसार का एक सबसे बड़ा कारण है। सोशल मीडिया के अत्यधिक प्रयोग से सोने की आदतों में बदलाव, साइबर अपराध, बच्चों के प्रति लगातार बढ़ते दबाव और एक प्रभावशाली प्रोफाइल युवाओं को बड़े पैमाने पर प्रभावित कर रही है। इसमें अत्यधिक व्यस्तता के कारण अन्य कार्यों के लिये बहुत कम समय बचता है एवं अन्य गंभीर मुद्दों की उत्पत्ति होती है जैसे ध्यान कम लगना, चिंता एवं अन्य मुद्दे। इसके अत्यधिक प्रयोग एवं गोपनीयता से निजता में कमी आती है। यह उपयोगकर्त्ता को साइबर अपराधों जैसे हैकिंग, पहचान संबंधी चोर फिशिंग अपराधों आदि के प्रति संवेदनशील बनाता है।

सोशल मीडिया का दुरुपयोग भी कई रूपों में किया जा रहा है। इसके जरिये न केवल सामाजिक और धार्मिक उन्माद फैलाया जा रहा है बल्कि राजनीतिक स्वार्थ के लिये भी गलत जानकारियाँ पहुँचाई जा रही है। इससे समाज में हिंसा को तो बढ़ावा मिलता ही है, साथ ही यह हमारी सोच को भी नियंत्रित करता है।

देश जैसे-जैसे आधुनिकीकरण के रास्ते पर बढ़ रहा है चुनौतियाँ भी बढ़ती जा रही है। इसके अलावा 'सोशल मीडिया इंटेलीजेंस' के जरिये सोशल मीडिया गतिविधियों का विश्लेषण करते रहना भी आवश्यक है। इससे आपत्तिजनक सामग्रियों को बिना देर किये हटाया जा सकेगा।

आज प्रत्येक व्यक्ति बिना किसी डर के सोशल मीडिया के माध्यम से अपने विचार रख सकता है और उसे हजारों लोगों तक पहुँचा सकता है, परंतु सोशल मीडिया के दुरुपयोग ने इसे एक खतरनाक उपकरण के रूप में भी स्थापित कर दिया है जिसके कारण इसके विनियमन की आवश्यकता लगातार महसूस की जा रही है। अतः आवश्यक है कि निजता के अधिकार का उल्लंघन किये बिना सोशल मीडिया के दुरुपयोग को रोकने के लिये सभी पक्षों के साथ विचार-विमर्श कर नए विकल्पों की खोज की जाए, ताकि भविष्य में इसके संभावित दुष्प्रभावों से बचा जा सके।

प्रभात ठाकुर
सतर्कता सहायक

सौर ऊर्जा

सौर ऊर्जा अर्थात ऐसी ऊर्जा जिसे सूर्य की ऊष्मा व प्रकाश से प्राप्त किया जाता हैं। सूर्य की किरणों को अंग्रेज़ी में "सोलर" कहते हैं। हम सब यह तो जानते है कि सौर ऊर्जा नवीकरणीय ऊर्जा का सबसे बड़ा व कभी खत्म न होने वाला स्त्रौत है। बिजली के बढ़ते दाम, पर्यावरण में अस्वच्छता से रोकथाम के लिए सौर ऊर्जा एक महत्वपूर्ण साधन बन रहा है जो परंपरागत ऊर्जा का एक अच्छा विकल्प है, जो न केवल सर्वत्र उपलब्ध है बल्कि कम लागत में भी सर्व सुलभ है। ऊर्जा के अन्य रूप विशेष रूप से ईंधन पर्यावरण को अत्यधिक प्रदूषित करते हैं।

यह बात बिलकुल स्पष्ट एवं सरल है कि सूरज पूरी दुनिया को सुरक्षित, साफ एवं स्वस्थ ऊर्जा प्रदान करने में सक्षम है। ऊपरोक्त संदर्भित दोनों ऊर्जा को हम अपने प्रतिदिन होने वाले अधिकांश कार्यों के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे शाब्दिक तौर पर कहे तो उष्ण ऊर्जा का उपयोग हम दिन-प्रतिदिन, गर्म पानी, सोलर कूकर आदि के लिए करते हैं वही प्रकाश ऊर्जा को हम बिजली निर्माण या व्यवसिक रूप से कहे तो बिजली उत्पादन के रूप में प्रयोग करते हैं।

सौर ऊर्जा से बिजली निर्माण कैसे होता हैं?

बिजली निर्माण के लिए सबसे प्रथम आवश्यकता होती है सोलर सेल की, जिसमें बहुत सारे सेमी-कंडक्टर उपकरण होते हैं, और इन्ही की मदद से बनता हैं सोलर सेल। यह एक ऐसा फोटो सेल (फोटो का अर्थ रोशनी से है), होता हैं जो सूर्य से प्राप्त रोशनी को बिजली में परिवर्तित करता हैं। इन सेमी-कंडक्टर की मदद से बने उपकरण के सबसे छोटे हिस्से को सेल कहा जाता हैं।

सोलर सेल काम कैसे करता हैं?

जैसे ही सूर्य का प्रकाश इन सेमी-कंडक्टर उपकरणों पर पड़ता हैं, तो सेमी-कंडक्टर के अंदर उपलब्ध एलेक्ट्रोन्स उत्तेजीत हो जाते हैं, जिसके कारण वह हिलने लगते हैं और वे पॉज़िटिव प्रवाह की तरफ आकर्षित होते हैं, यदि हम इस प्रवाह के बीच कोई भी बिजली से चलने वाला उपकरण स्थापित करते हैं तो वह अपना परिचालन शुरू कर देता हैं। इन्ही छोटे सोलर सेल को जोड़कर अनगिनत क्षमता में बिजली का उत्पादन किया जा रहा है।

इन सभी छोटे-छोटे सोलर सेल को मिलकर सोलर मॉड्यूल बनता हैं। जब ऐसे छोटे सोलर सेल को एक सिरीज़ (क्रम) में जोड़कर हम निर्माण करते हैं तो उसे असली अर्थ में सोलर मॉड्यूल कहते हैं। इससे इनके करेंट तो समान रहते हैं परंतु इनका वोल्टेज आपस में जुड़ जाता हैं। व्यावसायिक या बिज़नस परिपेक्ष्य में इसे सोलर पेनल भी कह सकते हैं। बहुत सारे सोलर सेल को जब क्रम में साथ जोड़ते हैं उसे सोलर मॉड्यूल कहाँ जाता हैं तथा जब बहुत सारे सोलर मॉड्यूल एक साथ जोड़े जाते हैं तो उसे स्ट्रिंग कहाँ जाता हैं।

सोलर पैनल का उपयोग

सोलर पैनल को हम घरों की छत पर, धरती पर व्यवस्थित कर बिजली उत्पादन करते हैं। औद्योगिक स्तर पर भी बड़े-बड़े सोलर पार्क की स्थापना की जा रही है तथा उत्पादित सौर बिजली को तारों एवं अन्य उपकरणों के माध्यम से आवश्यकतानूकूल उपयोग में लायी जा रही है।

सोलर का प्रयोग

हम सभी ने अपने जीवन में यदि सबसे पहला सोलर पेनल या सोलर सेल अगर देखा होगा तो वह है कैल्कुलेटर। सोलर ऊर्जा से घड़ियाँ, लाइट, सोलर कूकिंग स्टोव, गार्डेन लाइट, सोलर स्ट्रीट लाइट, सोलर पम्प एवं अन्य आवश्यक कार्य लिए जाते हैं। दूरभाष या टेलीकॉम की अधिकतर परियोजनाएँ भी सोलर ऊर्जा के माध्यम से चलती हैं, जैसे मोबाइल टावर को सोलर ऊर्जा से बिजली की आपूर्ति की जाती हैं। छोटे गांव, कस्बों में सोलर ऊर्जा के ग्रिड लगाए जाते हैं जिससे वहाँ रहने वाले लोगों को बिजली विस्तृत की जाती हैं। आज तो सोलर से चलने वाली गाडियाँ, एवं अन्य परिवहन के माध्यम भी आ गए है। भारतीय रेलवे भी ऐसी कई परियोजनाएँ लेकर आई है जिसमें सौर ऊर्जा का उपयोग हो रहा है। अन्तरिक्ष में स्थापित की गई सैटिलाइट, हो या अन्य उपकरणों में भी इसका उपयोग बहुतायत में हो रहा है।

भारत में भी सौर ऊर्जा का उपयोग किया जा रहा है तथा इसके उपयोग को व्यापक बनाने के लिए कई रणनीतियां बनाई जा रही है। भारत में पिछले 5.5 वर्षों में सौर ऊर्जा क्षमता को 2.6 GW से 34 GW से भी अधिक बढ़ाया गया है। भारत वर्ष 2022 तक 100 गीगावॉट सौर ऊर्जा क्षमता हासिल करने के लिए पूरी तरह तैयार है और जुलाई, 2020 तक पहले ही 23.12 गीगावॉट की सौर क्षमता स्थापित कर चुका है। इसी क्रम में भारत में अब तक के सबसे बड़े 5 सोलर पार्क के कुल क्षेत्र एवं उसके उत्पादन क्षमता की जानकारी निम्नानुसार है:-

परियोजना का नाम	कहाँ स्थापित है	कुल क्षेत्र (एकड़ में)	उत्पादन की क्षमता (मेगा वॉट में)
1. पावागढ़ सोलर पार्क	कर्नाटक	13000	22000
2. भड़ला सोलर पार्क	राजस्थान	10000	2250
3. एनपी कुंता अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क	आंध्र प्रदेश	7924	500
4. कुरनूल अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क	आंध्र प्रदेश	5932	1000
5. चारणका सोलर परियोजना	गुजरात	4900	500

प्रकाश कुमार
उप महाप्रबंधक (मानव संसाधन)

क्या जी.डी.पी. में वृद्धि देश के सम्पूर्ण विकास का सूचक है ?

भारत की आत्मा गाँवों में बसती है, यानि **70%** ग्रामीण आबादी वाले देश के सम्पूर्ण विकास का जब भी संदर्भ आएगा, गाँवों को प्राथमिकता मिलनी ही चाहिये। सीधे अर्थ में कहूँ तो आत्मनिर्भर और शहरी सुविधाओं से पूर्ण गाँवों की उपस्थिति ही सम्पूर्ण विकास की द्योतक हो सकती है। साथ ही, शहरों में उभरते मध्यम वर्ग की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति भी विकसित भारत का एक आवश्यक अंग होना चाहिये। यह सर्वविदित है कि आँकड़ों में अभी भारत विश्व की सबसे तेज़ी से वृद्धि करने वाली अर्थव्यवस्था बन चुका है और फिलहाल कई बड़े देश जी.डी.पी. प्रतिशत वृद्धि में हमसे पीछे है। हालांकि पिछली कुछ तिमाही में इसमें गिरावट जरूर आयी है। अब सवाल यह उठाता है कि पिछली दो दशकों में हुई जी.डी.पी. वृद्धि या भविष्य में होने वाली अपेक्षित तीव्र वृद्धि सम्पूर्ण भारत के विकसित स्वरूप को बयाँ करती है या फिर इससे सिर्फ "इंडिया" ही लाभान्वित हो रहा है और इसके मुकाबले "भारत" कहीं पीछे छूट गया है।

2016 में किये गए एक सर्वेक्षण के मुताबिक, हमारे देश के सबसे अमीर व्यक्ति मुकेश अम्बानी की आय विश्व के **19** देशों से अधिक है, और मौजूदा समय की बात करें तो वह दुनियाँ के चौथे सबसे अमीर व्यक्ति हैं। वहीं तस्वीर का दूसरा पहलू ये है कि देश की **30-35** फीसदी आबादी गरीबी रेखा के नीचे गुज़र-बसर कर रही है, वहीं **30%** आबादी कुपोषण से पीड़ित है और **35%** लोग अभी तक निरक्षर हैं। क्या इस स्थिति को देश का सम्पूर्ण विकास कहा जा सकता है? दरअसल, सम्पूर्ण विकास का अर्थ बहुत व्यापक है, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि, जी.डी.पी. वृद्धि, मानव विकास सूचकांक, क्रय शक्ति वृद्धि, शेयर बाज़ार में उछाल इत्यादि मात्र एक पक्ष को दर्शाते हैं, लेकिन फिर भी कई लोगों की नज़र में जी.डी.पी. वृद्धि और मानव विकास सूचकांक काफी हद तक 'एक इकाई के रूप में' देश के विकास को तुलनात्मक रूप से प्रस्तुत करने वाले बेहतर पैमाने हैं।

वैसे, अगर विकास वास्तविक रूप से हो रहा है तो वह ज़मीन पर खुद-ब-खुद दिख जाता है, उसके लिये जी.डी.पी. वृद्धि जैसे आँकड़ों में बाज़ीगरी दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि अक्सर देखा गया है कि जी.डी.पी. वृद्धि दिखाकर यह दर्शाया जाता है कि देश आगे बढ़ रहा है।

वैसे, वास्तविकता तो यह है कि जी.डी.पी. वृद्धि को विकास का एकमात्र पैमाना कहना भी उचित नहीं है। अगर इस बात पर गौर किया जाए कि जी.डी.पी. वृद्धि का फायदा किस वर्ग को मिला है, इससे किस हद तक सामाजिक और आर्थिक बदलाव आया है, मानवीय सूचकांक में कितनी वृद्धि हुई है और सर्वांगीण रूप से देश कितना आत्मनिर्भर हो पाया है, तो संभवतः इस बात की पड़ताल हो सकती है कि क्या जी.डी.पी. में वृद्धि को देश के सम्पूर्ण विकास का सूचक माना जाए या नहीं।

जब सकल घरेलू उत्पाद के आकार की बजाय आम लोगों के जीवनयापन के स्तर को देखा जाता है तो देश की स्थिति कुछ और ही नज़र आती है। बिना सामाजिक स्तर पर बेहतर प्रदर्शन किये हम कैसे विकास का दावा कर सकते हैं? इसी प्रकार, अगर सिर्फ प्रति व्यक्ति आय या राष्ट्रीय आय को एक पैमाना मान लें तो खाड़ी देशों की अर्थव्यवस्था में विरोधाभास मिलता है, जो सामाजिक और मानवीय रूप से निचले देशों में गिने जाते हैं।

हमारा देश हिन्दू वृद्धि दर की संकल्पना से कब का बाहर आ गया, परंतु गरीबी पर देश के विकास का प्रभाव सिर्फ आँकड़ों में ही दिखाई देता है। गरीबी मुक्त भारत का सपना अभी सपना ही है क्योंकि आज़ादी के लगभग सात दशक बाद भी हमारे यहाँ **30-35%** आबादी गरीब है। गरीबी में भी क्षेत्रीय विषमता है। बिहार, बंगाल, ओडिशा, झारखण्ड, राजस्थान जैसे राज्य में गरीबों की मौजूदगी ज़्यादा है। बेरोज़गारी भी गरीबी के समान ही जी.डी.पी. वृद्धि के बावजूद देश के विभिन्न भागों में मौजूद है, कहीं कम तो कहीं ज़्यादा। जी.डी.पी. वृद्धि में भी असमानता है- गुजरात, महाराष्ट्र, दिल्ली जैसे अगड़े राज्य जी.डी.पी. में ज़्यादा योगदान देते हैं तो वहाँ विकास के लक्षण (खासकर बेहतर सड़क, स्वास्थ्य सुविधा, शिक्षा, बिजली-पानी की उलब्धता इत्यादि) दिखाई पड़ते हैं क्योंकि बेहतर निवेश के कारण वहाँ पूंजीगत खर्च जनता के लिये सरकार और निजी संस्थाओं द्वारा किये जाते हैं, जिसका लाभ जनता को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मिल ही जाता है। परंतु जी.डी.पी. वृद्धि दिखाने वाले राज्यों में भी सुविधाओं की उपलब्धता में असमानता है। साथ ही, जिन राज्यों में जी.डी.पी. वृद्धि एवं निवेश कम होता है, वहाँ विकास के अवसर सिर्फ शहरों के कुछ हिस्सों तक सीमित हो जाते हैं। अतः यह कहना कि देश की जी.डी.पी. वृद्धि समानता बढ़ाती है, ऐसा भी नहीं है।

जी.डी.पी. वृद्धि के बावजूद हमारा मानव विकास सूचकांक वैश्विक स्तर पर अत्यंत दयनीय है। अगर हम अपने नागरिकों को बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, पानी, हवा नहीं दे पा रहे हैं तो जी.डी.पी. वृद्धि का कोई औचित्य नहीं रह जाता। मानव विकास सूचकांक **2019** में हमें **189** देशों में **129**वें स्थान पर जगह मिली है। इस मामले में हम वैश्विक औसत के भी नीचे हैं। जी.डी.पी. वृद्धि के बावजूद कई चुनौतियाँ अभी भी बरकरार हैं। इकोनॉमिक टाइम्स ग्लोबल बिज़नेस समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा कि उनके सुधारों का लक्ष्य नागरिकों की ज़िंदगी में बदलाव लाना है अर्थात् "बदलाव के लिये सुधार।"

पुनः प्रति व्यक्ति आय और जी.डी.पी. वृद्धि को अक्सर सरकार के द्वारा खुशहाली के रूप में पेश किया जाता है, परंतु जब सिर्फ खुशहाली सूचकांक के रूप में देखा जाए, तो हम बहुत पिछड़े नज़र आते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा जारी की गयी खुशहाली रिपोर्ट 2020 में भारत को 156 देशों में 144वां स्थान मिला है। गौरतलब है कि जी.डी.पी. वृद्धि और प्रति व्यक्ति आय को अगर महँगाई के संदर्भ में देखा जाए, तो यह वृद्धि मात्र मृग मरीचिका ही साबित होती है। कई बार तो नकारात्मक पहलुओं को जी.डी.पी. वृद्धि द्वारा ढकने का भी प्रयास किया जाता है। साथ ही, प्रति व्यक्ति आय, जो कि जी.डी.पी. वृद्धि से ही निर्धारित होती है, वो औसत वृद्धि होती है न कि वास्तविक प्रति व्यक्ति को प्राप्त होती है।

जी.डी.पी. वृद्धि से किसान और मज़दूर वर्ग को शायद ही कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष लाभ होता है, हालाँकि दावे ज़रूर किये जाते हैं। उदाहरण के लिये, **1980** के दशक तक **100** रुपए वाले सामान में अनुमानतः मज़दूरी का हिस्सा **25** से **30** रुपए, लागत **50** रुपए और मुनाफा **20-25** रुपए होते थे, पर

आज प्रौद्योगिकी और तकनीक के कारण लागत में गिरावट आई और लागत प्रायः घटकर **30-35** प्रतिशत तक हो गई और मुनाफा बढ़कर **55-56** प्रतिशत हो गया, पर मज़दूरी घटकर **10-15** प्रतिशत पर सिमट गई। संपत्ति का संकेंद्रीकरण कुछ खास वर्ग तक सीमित होता रहा और मज़दूरों और किसानों का शोषण बढ़ गया। इस प्रकार, देश की जी.डी.पी. वृद्धि में मज़दूरों और किसानों का योगदान सर्वाधिक होता है, पर उनकी आय वृद्धि नहीं हो पाती और देश का संतुलित विकास नहीं हो पाता।

जी.डी.पी. वृद्धि का निर्धारण मुख्यतः तीन क्षेत्रों- कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्र के विकास के आधार पर तय होता है। पिछले कुछ वर्षों में जी.डी.पी. में जो भी वृद्धि हुई वो वस्तुतः सेवा क्षेत्र की प्रगति पर टिकी हुई मानी जाएगी क्योंकि कृषि और उद्योग क्षेत्र में प्रायः प्रगति कम रही है। कृषि में तो वृद्धि कुछ नकदी फसलों के उत्पादन पर निर्भर हो चुकी है। तो फिर क्या सिर्फ सेवा क्षेत्र की प्रगति को देश का संतुलित विकास कहा जा सकता है? उदाहरण के लिये, गुडगाँव, जो कि सेवा क्षेत्र का एक प्रमुख केंद्र बन चुका है, यहाँ की प्रगति सिर्फ गुडगाँव (अब गुरुग्राम) के विकसित क्षेत्रों और आस-पास के क्षेत्रों में दिखाई पड़ती है, न कि आस-पास के गाँवों और पड़ोस के ज़िलों में। वस्तुतः यह छद्म विकास है।

देश के मध्यम और उच्च वर्ग को ध्यान में रखकर निवेश अवसरों की उपलब्धता, उद्योगों का उत्पादन और कृषि फसलों का चयन भी देश के संतुलित विकास पर प्रश्न चिह्न लगाते हैं। जी.डी.पी. वृद्धि हो रही है, फिर भी कोर्पोरेट जगत सरकारी कर्ज़ों को दबाए बैठा है। बैंक के निवेश गैर-निष्पादनकारी परिसंपत्तियों **(Non Performing Assets - NPAs)** में बदल रहे हैं। एक तरफ देश में अरबपतियों की संख्या बढ़ रही है, तो दूसरी तरफ देश की **75%** आबादी **20** रुपए या कम में गुज़ारा कर रही है, देश में गरीब और अमीर के बीच की खाई बढ़ती जा रही है, हर चौथा भारतीय भूखा है। **Global Hunger Index 2019** में 117 देशों में भारत का स्थान 102वां है , किसान कर्ज़ के दबाव में आत्महत्या कर रहे हैं।

किसी देश के लोगों की खुशहाली से जी.डी.पी. का कोई रिश्ता नहीं है। खुशहाली सूचकांक में हम नीचे हैं। यूएनडीपी की ताजा रिपोर्ट बताती है कि क्यूबा जैसे देश का जी.डी.पी. नीचा हैं परंतु उसका मानव विकास सूचकांक बहुत ऊँचा है। इसके अलावा, कुछ ऐसे भी देश हैं जैसे अमेरिका और मेक्सिको जिनका जी.डी.पी. तो ऊँचा है पर मानव विकास सूचकांक बहुत अच्छा नहीं है। इसी तरह, कुछ ऐसे भी देश हैं जिनका जी.डी.पी. ऊँचा है और गैर-बराबरी/असमानता अनुपात भी ज़्यादा है। किसी देश का गैर-बराबरी अनुपात वह अनुपात है जो उसके ऊपरी तबके के **10** प्रतिशत लोगों की आमदनी और निचले तबके के **10** प्रतिशत लोगों की आमदनी के बीच में है। वर्तमान में पूंजीवाद पूरे विकास मॉडल पर छाया हुआ है। सम्पत्ति और संसाधन कुछ हाथों में सिमटते जा रहे हैं और बहुसंख्यक आबादी का सीमान्तीकरण हो गया है।

ऊँची जी.डी.पी. वृद्धि दर का असमानता घटने से कोई लेना-देना नहीं है, इसलिये निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि जी.डी.पी. वृद्धि विकास का एक सम्पूर्ण पैमाना नहीं हो सकता, पर विकास के लिये जी.डी.पी. वृद्धि ज़रूरी है।

प्रवीण गुप्ता
उप महाप्रबंधक (वित्त एवं लेखा)

समय प्रबंधन ही जीवन प्रबंधन है

1- **तुम देर कर सकते हो, पर समय देरी नहीं करता**:- समय प्रबंधन मिथ्या है चुनौती तो खुद के प्रबंधन की है ।

You may delay but time will not: - Time Management is misnomer; the challenge is to manage ourselves.

2- **व्यस्त नहीं, उत्पादक बनो** :- समय ही एक ऐसी पूंजी है जो प्रत्येक व्यक्ति के पास है ।

Don't be busy, be productive: - Time is really the only capital that every human has.

3- **अभी नहीं तो कब ?** :- हमारे में से ज़्यादातर लोग क्या अति आवश्यक है, पर अत्यधिक समय व्यतीत करते हैं, न की क्या महत्वपूर्ण है उस पर ।

If not now, then when? : - Most of us spend too much time on what is urgent, and not enough time on what is important.

4- **प्रत्येक क्षण सुधार के लिए कार्य करो**:- यह महत्वपूर्ण नहीं है की आपने कितनी चीजें शुरू की। महत्वपूर्ण यह है की कितनी सार्थक चीजें आपने पूर्ण की हैं। ।

Make each hour work for improvement: - It's not how many things you start that make you successful. It's how many worthwhile things you finish.

5- **अपने समय का पूर्ण सदुपयोग करो** :- योजना बनाओ, क्योंकि सुनियोजित चीज़ों के पूर्ण होने की संभावना अनियोजित चीजों से अधिक होती है ।

Have a blast of your time: - Plan, because things that are not planned are more apt to happen than things that are planned.

6- **स्वप्न देखना बंद करो, काम करना शुरू करो** :- स्मार्ट लक्ष्य निर्धारित करें, ये सटीक, विशिष्ट, प्राप्त करने योग्य और समयबद्ध होने चाहिएं। ।

Stop dreaming, start doing now: - Make sure you set SMART goals. They should be specific, measurable, achievable and timed.

7- **हर पल का दायित्व लें** :- बुरी खबर यह है की समय उड़ता जा रहा है और अच्छी खबर यह है की आप खुद उसके पायलट हैं। ।

Take charge of your every moment: - The bad news is time flies. The good news is you are the pilot.

8- **एक चीज़ जिसका आप प्रसंस्करण नही कर सकते, वो है समय** :- समय को अगर एक बार बर्बाद कर दिया, तो वह हमेशा के लिए बर्बाद हो जाता है। ।

One thing you cannot recycle is wasted time: - Time wasted for once is wasted forever.

प्रवीण गुप्ता
उप महाप्रबंधक (वित्त एवं लेखा)

घर एक छोटा सा घरौंदा

घर चाहे कैसा भी हो .....
उसके एक कोने में .....
खुलकर हंसने की जगह रखना..

सूरज कितना भी दूर हो.....
उसको घर आने का रास्ता देना....

कभी कभी छत पर चढकर,
तारे अवश्य गिनना.....
हो सके तो हाथ बढाकर....
चांद को छूने की कोशिश करना

अगर हो लोगों से मिलना जुलना....
तो घर के पास पडोस जरूर रखना..

भीगने देना बारिश में....
उछल कूद भी करने देना....
हो सके तो बच्चों को....
एक कागज की किश्ती चलाने देना...

कभी हो फुरसत, आसमान भी साफ हो....
तो एक पतंग आसमान में चढाना.....
हो सके तो एक छोटा सा पेंच भी लडाना.....

घर के सामने रखना एक पेड.....
उस पर बैठे पक्षियों की.....
बातें अवश्य सुनना.....

घर चाहे कैसा भी हो.....
घर के एक कोने में.....
खुलकर हंसने की जगह रखना.....

चाहे जिधर से गुजरिये.....
मीठी सी हलचल मचा दीजिए.....

उम्र का हर एक दौर मजेदार है....
अपनी उम्र का मज़ा लीजिए....

जिंदा दिल रहिए जनाब...
ये चेहरे पे उदासी कैसी....
वक्त तो बीत ही रहा है.....
उम्र की ऐसी की तैसी.....।

प्रिंसी भाटिया,
पर्यवेक्षक (आर.एम.)

कार्य संतोष पर एक विचार

कार्यसंतोष से आशय व्यक्ति की अपने कार्य एवं कार्य से सम्बन्धित परिस्थितियों सम्बन्धी विभिन्न अभिवृत्तियों के परिणाम से लिया जाता है। व्यक्ति अपने कार्य एवं परिस्थितियों के सम्बन्ध में कैसा अनुभव करता है, यही कार्यसंतुष्टि कही जाती है। प्रबन्धकों का कार्मिकों के प्रति व्यवहार एवं दृष्टिकोण पर्यवेक्षण की रीति, कार्य स्थान उपलब्ध सुविधायें आदि सामान्यतः कर्मचारी के कार्य के प्रति व्यवहार को प्रभावित करती है। परिणामस्वरूप कर्मचारी संतुष्टि अथवा असंतुष्टि अनुभव करता है। सामान्यतः जब कर्मचारी अपने कार्य से सन्तुष्ट होता है तो वह अधिक उत्पादन एवं कार्यक्षमता द्वारा इस सन्तुष्टि को प्रकट करता है। किन्तु आवश्यक रूप में संतुष्टि कार्य निष्पादन की बढ़ोत्तरी के रूप में प्रकट हो यह आवश्यक नहीं है। प्रबंधन के विचार से संतुष्ट कर्मचारी असंतुष्ट कर्मचारी से कहीं अधिक लाभदायक होता है।

सन्तोष एवं असन्तोष

कोई व्यक्ति एक ही समय असंतुष्ट हो सकता है। मेयर के अनुसार मनुष्य की असंतुष्टि का कारण सन्तुष्टि के स्रोतों का अभाव नहीं होता अपितु उसका प्रमाण इन तीन बातों के संयुक्त प्रभाव में प्राप्त होता है, इच्छाओं की संतुष्टि इच्छाओं की संतुष्टि की असफलता तथा असंतोष के स्रोत। यह कहा जा सकता है कि कार्य सन्तुष्टि एक विषम विचारधारा है जो मानवीय इच्छाओं अभिप्रेरणाओं एवं उसकी मानसिक अवस्था से सम्बन्धित है।

कार्य सन्तुष्टि को प्रभावित करने वाले घटक अथवा तत्व

कार्य सन्तुष्टि को अनेक तत्व प्रभावित करते हैं। इन तत्वों को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है (1) व्यक्तिगत तत्व, तथा (2) कार्य सम्बन्धी तत्व।

व्यक्तिगत तत्व

मनुष्य की अनेक व्यक्तिगत विशेषताओं का प्रभाव कार्य संतोष पर पड़ता है। लिंग, भेद, आयु, स्वास्थ्य, बुद्धि एवं कार्य संतोष में निश्चित सहसम्बन्ध स्थापित किया जा सकता है। कार्य संतोष पर प्रभाव डालने वाले व्यक्तिगत तत्व हैं – लिंग भेद : सामान्यतः स्त्रियों की इच्छाऐं एवं महत्वाकाक्षाऐं पुरूषों की अपेक्षा कम होती हैं, फलस्वरूप असंतोष का स्तर शीघ्र ही नहीं आता। आयु : अधिक आयु के व्यक्तियों द्वारा परिस्थितियों से समायोजन कर लेने के फलस्वरूप यह परिणाम प्रकट होता है और वे कार्य से अधिक सन्तुष्टि अनुभव करने लगते हैं। किन्तु विकास के अवसरों का अभाव कार्यकुशलता में कमी के कारण, महत्व में कमी एवं वेतन की स्थिरता आदि अनेक ऐसे कारण हो सकते हैं जो बड़ी आयु के कर्मचारियों में असन्तोष को जन्म दे सकते हैं। बुद्धि : कर्मचारी की वृद्धि का स्तर उसके कार्य की प्रकृति के संदर्भ में कार्य सन्तुष्टि अथवा असन्तुष्टि उत्पन्न कर सकता है। अनुभव : प्रायः देखा जाता है कि नया कर्मचारी अनुभव के अभाव में अपने कार्य से सन्तुष्ट रहता है। किन्तु शनैः शनैः ऐसा कर्मचारी अपनी वर्तमान अवस्था से असन्तुष्ट होने लगता है और अनुभव बढ़ने के साथ–साथ, उसे यह लगने लगता हैं कि उसका वेतन एवं कार्य अवस्थायें उसके अनुभव के अनुरूप नहीं है। मनोवृत्ति (Mentality) : मनोवृत्ति और सन्तुष्टि में भी सहसम्बन्ध स्थापित किया जा सकता है। अनेक व्यक्ति परिस्थितियों में समझौता नहीं कर पाते और उनकी यह मनोवृत्ति उनके सन्तोष का कारण बनी रहती है।

कार्य सम्बन्धी तत्व

पारिश्रमिक : प्रत्येक कर्मचारी की यह इच्छा रहती है कि उसकी योग्यता, परिश्रम एवं उत्तरदायित्व के अनुसार उसे परिश्रमिक दिया जाए। किन्तु व्यवहार में कर्मचारी अपनी वर्तमान परिश्रमिक की मात्रा से सन्तुष्ट नहीं देखे जाते।

सुरक्षा एवं स्थायित्व : अनुभव यह बताता है कि स्थाई कर्मचारी सामान्यतः सुरक्षा के आश्वासन के कारण अपने कार्य से अधिक सन्तुष्टि अनुभव करता है। मान्यता : कर्मचारी अपने कार्य को आत्मगौरव का प्रश्न मानता है और उसे पूरा करके सम्मानित होने के लिए लालायित रहता है। कार्य को भली–भांति पूरा करके गौरव की अनुभूति कार्य सन्तुष्टि प्रदान करती है। कार्य की दशायें : कर्मचारी कार्य के घन्टों एवं भौतिक वातावरण को एक आवश्यकता मानकर सहज ही स्वीकार करता है और सन्तुष्टि के लिए इससे कुछ अधिक की कामना करता है। अपेक्षायें : कर्मचारी एवं नियोक्ता दोनों ही एक दूसरे में कुछ व्यवहार सम्बन्धी अपेक्षायें रखते हैं। उदाहरण के लिए कर्मचारी यह अपेक्षा करता है कि नियोक्ता अपने व्यवहार में कटु नहीं होगा, सहानुभूतिपूर्ण बना रहेगा आदि। कर्मचारी की ऐसी अपेक्षाएं नितान्त काल्पनिक भी हो सकती हैं और इस अवस्था में असन्तुष्टि के स्तर का अनुमान लगाना अत्यन्त कठिन हो जाता है। पर्यवेक्षक : कर्मचारी का प्रबन्धन वर्ग से सम्बन्ध निकटतम पर्यवेक्षक के द्वारा ही होता है और पर्यवेक्षक अपने मित्रतापूर्ण व्यवहार से कार्य का एक अनुकूल वातावरण स्थापित कर सकता है जो कर्मचारियों के लिए अत्यन्त उत्साहवर्द्धक हो।

कार्य सन्तुष्टि एवं कार्य निष्पादन

कार्य सन्तुष्टि एवं कार्य निष्पादन के सहसम्बन्ध का व्यापक अध्ययन किया गया है। इन अध्ययनों के प्रकाश में यह तथ्य सामने आया है कि इन दोनों के बीच बहुत स्पष्ट सकारात्मक सम्बन्ध नहीं है। कर्मचारी कार्य के सम्बन्ध में कैसा अनुभव करता है इसका प्रभाव उसके द्वारा कार्य के लिये किये प्रयत्नों पर पड़ना आवश्यक नहीं है। कार्य निष्पादन का कारण कर्मचारी पर पड़ने वाले अनेक दबाव भी हो सकते हैं। उदाहरण के लिए जब एक कार्य को करना किसी व्यक्ति के द्वारा स्वीकार किया गया है तो वह उसको पूरा करने के लिए बाध्य होता है और सन्तुष्टि अथवा असन्तुष्टि का इससे सम्बन्ध जोड़ना निरर्थक है।

कार्य निष्पादन के सभी सूत्र यथा उत्पादकता, दुर्घटना दर अनुपस्थिति दर, कमचारी आवर्तन आदि कार्य सन्तुष्टि से प्रभावित हो सकते हैं, किन्तु असन्तुष्टि के परिणामस्वरूप यह नकारात्मक रूप में प्रभावित होंगे ही, इस निष्कर्ष पर पहुंचना भ्रामक ही होगा। फिर भी सामान्य परिस्थितियों में कार्य सन्तुष्टि, संस्थान के लिए लाभकारी है और इसके अनुकूल वातावरण की स्थापना की जानी चाहिए। कार्य संतुष्टि से कर्मचारी का मनोबल ऊँचा होता है और इसका लाभ संस्थान द्वारा उठाया जा सकता है। अतः कार्य सन्तुष्टि कार्मिक एवं संगठन दोनों के विकास हेतु एक अपरिहार्य स्थिति है। क्योंकि असंतुष्ट कार्मिक संगठन विकास के राह का प्रथम अवरोध सिद्ध होता है।

पुष्प लता
सचिवीय सहायक (मानव संसाधन)

साक्षरता द्वारा महिलाओं के लिये समानता

"बीवी, बेटी, बहन, पड़ोसन
थोड़ी-थोड़ी सी सब में
दिन भर इक रस्सी के ऊपर
चलती नटनी-जैसी माँ"

उपर्युक्त पंक्तियाँ क्या कहना चाहती हैं और वो किस सामाजिक स्थिति की ओर हमारा ध्यान ले जाना चाह रही हैं? माँ याद करने पर दिनभर घर में काम करने वाली माँ ही याद आती है। चाहे वह बीवी, बेटी, बहन या पड़ोसन की ही भूमिका क्यों न निभा रही हो।

अवलोकन एवं तत्त्व चिंतन से यह पता चलता है कि प्रकृति ने महिला एवं पुरुष का निर्माण परस्पर पूरक के रूप में किया है। स्त्री एवं पुरुष के बीच का शाश्वत, मूल, प्राकृतिक या वास्तविक संबंध समानता का होता है, न कि एक गौण और दूसरा प्रधान हो। किंतु विडंबना है कि आज स्त्री और पुरुष के मध्य असमानता की खाई व्याप्त हो गई है जो उपर्युक्त पंक्तियों में स्पष्ट नजर आती है। हमें यह देखना होगा कि इस असमानता का स्वरूप क्या है, अर्थात् नारी को आज किन-किन रूपों में अन्याय, अत्याचार एवं अपमान सहना पड़ रहा है और किन विधियों द्वारा महिलाओं की स्थिति में समानता की पुर्नस्थापना की जा सकती है।

साक्षरता के अर्थ पर अगर गौर करें तो इसका शब्दार्थ होता है अक्षर ज्ञान से युक्त होने की स्थिति। इस स्थिति में व्यक्तिगत स्तर पर साक्षरता को वयैक्तिक साक्षरता एवं सामूहिक स्तर पर सामाजिक साक्षरता कहते हैं। उसी प्रकार साक्षरता का व्यापक अर्थ होता है पढ़ा-लिखा या विद्वान परंतु यदि साक्षरता के व्यावहारिक अर्थ को देखते हैं तो इन दोनों के मध्य भी एक मध्यममार्गी अर्थ है जो अधिक उपयोगी तथा व्यवहार्य है। महिला समानता से तात्पर्य है महिलाओं को आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक एवं राजनीतिक क्षेत्रों में पुरुषों के समान अधिकार की प्राप्ति व उनका उपभोग। महिलाओं की असमानता के स्वरूप पर अगर बात की जाए तो सिर्फ पिछड़े ग्रामीण समाज में ही नहीं अपितु शहरी प्रगतिशील आधुनिक समाज में भी महिलाओं को विभिन्न स्थानों पर असमानता का सामना करना पड़ता है। लेकिन महिलाओं की यह स्थिति तब और जटिल हो जाती है जब वे निरक्षर होती हैं।

महिलाओं के साथ असमानता की स्थिति उनके जन्म लेने के पूर्व से ही शुरू हो जाती है। लड़की की तुलना लड़के के जन्म की इच्छा एक प्रगतिशील समाज के लिये श्राप के समान होता है, परंतु आज भी कई स्थानों पर बेटी के जन्म लेने के पूर्व ही उसे मार दिया जाता है। जन्म लेने के उपरांत भी पालन-पोषण में असमानता दिखाई देती है। खान-पान एवं वस्त्रों के चयन में यह निश्चित रूप दिखाई देता है। शिक्षा के संदर्भ में बात की जाए तो आज भी पुरुष साक्षरता दर, महिला साक्षरता दर की अपेक्षा ज्यादा है जो समाज की हकीकत को बयाँ करता है। नौकरी में अवसर के संदर्भ में देखा जाए तो वहाँ भी पुरुषों को महिलाओं की अपेक्षा अधिक वरीयता प्राप्त है।

अधिक शारीरिक श्रमवाली नौकरियों में पुरुषों का एकाधिकार स्थापित है एवं बच्चों के जन्म से लेकर लालन-पालन की जिम्मेदारी उठाने के कारण भी महिलाओं को कई जगह नौकरी में प्राथमिकता नहीं दी जाती है।

आर्थिक स्वतंत्रता के मामले में भी महिलाएँ पुरुषों की अपेक्षा पीछे ही पाई गई हैं। न उन्हें इच्छानुसार खर्च करने की स्वतंत्रता होती है और न ही घर की अर्थव्यवस्था पर अधिकार। खेलकूद से लेकर स्वास्थ्य स्थिति तक में पाया गया है कि इन सब क्षेत्रों में भी महिलाओं की स्थिति पुरुषों की अपेक्षा निम्न है।

इन सभी को देखते हुए यह जरूरी हो गया है कि समाज द्वारा इन असमानताओं को दूर करने के प्रयास किये जाएं। लेकिन इससे पहले यह भी जरूरी है कि महिलाएँ अपने अधिकार की रक्षा हेतु स्वयं सामने आएँ और समाज का कर्त्तव्य है कि उन्हें इस कार्य में सहयोग करे।

"किसी के वास्ते राहें कहाँ बदलती हैं
तुम अपने आपको खुद ही बदल सको तो चलो।"

समाज में नारी के प्रति व्याप्त असमानताओं को दूर करने के लिये नए एवं समान कानूनी व्यवस्थाओं और उनका क्रियान्वयन आवश्यक है। गर्भ परीक्षण, पोषण, उत्तराधिकार एवं नौकरी जैसे अनेक क्षेत्रों में अब भी कानूनी व्यवस्थाएँ अपूर्ण एवं विसंगतिपूर्ण है। समान कानून बनाना एवं सुधारना ही पर्याप्त नहीं, उनका सही रूप से क्रियान्वयन भी हो, ऐसी व्यवस्था स्थापित करना आवश्यक है।

समाज में बुद्धिजीवी लोगों को एकत्रित कर नारी की सामाजिक स्थिति में सुधार एवं उत्थान के संबंध में अनेक कानूनी प्रयास किये जाने चाहिये।

कानूनी समानता संबंधी तमाम उपायों के बावजूद आज देश की काफी कम महिलाएँ राजनीतिक पदों पर पहुँच सकी हैं। राजनीतिक स्तर पर इस विषमता को दूर करने के लिये जनसंख्या के अनुपात में राजनीतिक पदों पर महिलाओं के लिये आरक्षण सुनिश्चित करना चाहिये। वर्तमान में महिलाओं को आर्थिक मामलों में वांछित स्तर की स्वतंत्रता प्राप्त नहीं है। संपत्ति में समान भागीदारी देकर एवं आर्थिक अनुबंधों में लगी पाबंदियाँ हटाकर महिलाओं के आर्थिक अधिकार को संरक्षण प्रदान किया जा सकता है।

नारी समानता की पक्षधर धार्मिक व्यवस्थाएँ भी पुनः प्रखरता से लागू की जानी चाहिये। अन्य लोगों को भी इन व्यवस्थाओं का अनुकरण कर नारी को महत्ता देने का आग्रह करना चाहिये।

खेलकूद के क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिये विशेष आर्थिक प्रावधान, विशेष खेल के मैदान, महिला क्रीड़ा शिक्षिकाओं की नियुक्तियाँ, महिला खेल छात्रवृत्तियाँ एवं साथ ही पृथक खेल टूर्नामेंट आयोजित कराने चाहिये।

साक्षरता से महिलाओं में नवीन चेतना का संचार होगा। चेतना या जागृति आने से तमाम प्रकार की असमानताएँ, अन्याय, अत्याचार जैसी स्थिति दूर हो जाती है। साक्षर समाज राजनीतिक, कानूनी एवं व्यवस्था संबंधी तथा परंपरागत उपाय करके लिंग समानता की स्थिति का निर्माण कर लेता है। महिलाओं का वर्तमान पिछड़ापन दूर करके उन्हें समानता के वास्तविक स्तर पर लाने का एकमात्र उपाय 'साक्षरता' है। उनका वास्तविक उत्थान एवं असली समानता उनकी साक्षरता में है।

रश्मि कौशिक
कार्यालय सहायक
(रा. भा.)

भक्ति – समर्पण श्रद्धा का पथ

एक भक्त ही भय व चिंता से संपूर्ण मुक्ति महसूस कर सकता है। एक भक्त ही भौतिक जगत के दुखों व मुश्किलों से परे जा सकता है।

एक सच्चे भक्त की अपनी कोई व्यक्तिगत इच्छा नहीं होती है, मोक्ष प्राप्त करने की भी नहीं । एक भक्त के हृदय में भक्ति की ज्योत उस पर गुरू कृपा से, सत्संग व अन्य भक्तों की संगति के कारण और भक्तों व साधकों की बातें, किस्से श्रवण करने से सदैव प्रज्ज्वलित रहती है।

"जब नदिया का सागर से मिलन होता है जब नदी को यह पता चलता है कि वो चिरकाल से सागर की ही थी। इसी प्रकार जिस क्षण एक भक्त श्रद्धा भाव से ईश्वर के प्रति समर्पित हो जाता है, तो वह तत्क्षण ईश्वर हो जाता है।"

भगवान श्रीकृष्ण ने कहा है कि मैं अपने परम भक्तों, जो हमेशा मेरा स्मरण या एक-चित्त मन से मेरा पूजन करते हैं, मैं व्यक्तिगत रूप से उनके कल्याण का उत्तरदायित्व लेता हूँ।

"एक भक्त के ऊपर सदैव भगवान का आर्शीवाद रहता है और भगवान की भक्ति करने वाले भक्तों की नइया हमेशा पार रहती है।"

रेणु भसीन
प्रबंधक (मा.सं. एवं समन्वय)

वास्तविक शिक्षा का स्वरूप

परंपरागत रूप से मनुष्य को प्राप्त होने वाले ज्ञान और संस्कारों को शिक्षा कहते हैं। साथ ही इसे अगली पीढ़ी को स्थानांतरित करना भी शिक्षा प्रदान करने की प्रक्रिया होती है। अर्थात शिक्षा कर्म के साथ क्रिया भी होती है। हालाँकि अभी तक हमने सिर्फ शिक्षा और उसकी प्रक्रिया के संबंध में बात की है परंतु यह निबंध वास्तविक शिक्षा विषय वस्तु पर केंद्रित है। शिक्षा के साथ वास्तविक शब्द को जोड़ना इसे विशेष अर्थ प्रदान करता है। वास्तविक शिक्षा इस बात पर जोर देती है कि पाठ्यक्रम एवं उसकी प्रचलित विधियों से इतर शिक्षा क्या है?

शिक्षा की महत्ता प्रत्येक देशकाल एवं परिस्थितियों के लिये उतनी ही आवश्यक रही है। प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक शिक्षा के स्वरूप, उद्देश्य, लक्ष्य आदि पर चर्चा होती रही है एवं सदैव उसके वास्तविक स्वरूप को खोजने का प्रयास किया जाता रहा है। हमारे भारत के ऋषि मुनियों ने **'सा विद्या या विमुक्तये'** का ज्ञान देकर शिक्षा की महत्ता पर बल दिया था। वास्तविक शिक्षा वही होती है जो मुक्ति का मार्ग प्रदान करे। मुक्ति का अर्थ सामान्यतः संसार से पलायन के संदर्भ में लिया जाता है परंतु विद्या का जोर इस पलायन पर नहीं अपितु धर्म के साथ जीविका उपार्जन एवं धर्म युक्त कर्मों की महत्ता पर है।

अगर व्यक्तिगत स्तर पर देखें तो मुक्ति का अर्थ मनुष्य को विस्मृति के अंधकार से निकाल कर स्वयं की सहज अनुभूति से है। सामूहिक स्तर पर इसकी अभिव्यक्ति राष्ट्र एवं लोगों के कल्याण के रूप में होती है। ऐसी स्थिति में ही व्यक्ति एवं समाज अज्ञानता, अभाव और दुख आदि से मुक्ति पाकर परम सुख की प्राप्ति करता है। ऐसी स्थिति सिर्फ और सिर्फ शिक्षा के माध्यम से ही प्राप्त की जा सकती है। आज भी यह प्रश्न विचारणीय है कि वर्तमान में वास्तविक शिक्षा का स्वरूप क्या है।

शिक्षा के स्वरूप के संबंध में हम पाते हैं कि यह परंपरागत शिक्षा आध्यात्मिक शिक्षा, औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, नूतन शिक्षा, भौतिक शिक्षा आदि प्रकारों में विभक्त है। समस्त बंधनों से मुक्त करना, जीवन जीने की तैयारी, पीढ़ी दर पीढ़ी संचित ज्ञान के भंडार को आगे प्रेषित करना आदि सभी शिक्षा के उद्देश्यों के अंतर्गत आते हैं। सिर्फ साक्षरता तक सीमित रहने वाली शिक्षा अधूरी मानी जाती है। जो शिक्षा व्यक्ति के उद्देश्य प्राप्त एवं उसकी जरूरतों की पूर्ति में सहायक बने वहीं वास्तविक शिक्षा होती है।

वास्तविक शिक्षा के तहत महज अक्षर ज्ञान, विभिन्न प्रकार की जानकारियों का समावेशन और जीवन यापन करना ही शामिल नहीं है बल्कि यह व्यक्तिक चरित्र, आध्यात्मिक अनुभव और सामूहिक रूप से संस्कृति के विकास का एक समुच्चय है। इंसान में ईश्वरीय गुणों और बाह्य सामर्थ्य के विकास का अवसर वास्तविक शिक्षा के तहत ही प्राप्त होता है। वास्तविक शिक्षा द्वारा लौकिक एव परलौकिक दोनों प्रकार की उपलब्धियाँ प्राप्त की जा सकती हैं। व्यक्ति का सर्वांगीण विकास और संतुलित जीवन केवल वास्तविक शिक्षा के उपरान्त ही संभव है।

वास्तविक शिक्षा क्या है इसे परखने के कई मापक हैं जैसे जिसके द्वारा जीवन के उद्देश्य प्राप्त किये जा सकें, जो जीवन मूल्यों एवं मानवीय मूल्यों की कसौटी पर खरा उतर सके, जो व्यक्ति को विनम्रता और सहनशीलता प्रदान करे, जो व्यक्ति के जीवन को संतुलित कर सके और व्यक्ति के साथ समाज के हितों को भी साध सके एवं विद्यार्थियों के जीवन को संस्कारवान और अर्थपूर्ण बनाए।

इन मापदंडों को देखने पर हम पाते हैं कि हमारी वर्तमान शिक्षा का स्वरुप इस कसौटी पर खरा नहीं उतर पाता क्योंकि आज की शिक्षा व्यवस्था अधूरी, भयप्रद, विलासिता आधारित, भांगी प्रकृति और स्वार्थ केंद्रित हैं जो धर्म के सही मूल्यों से दूर करते हुए अनेक विकृतियों को उत्पन्न करते हुए अंततः समाज को नकारात्मक रूप में प्रभावित करती है। आज की इस वर्तमान शिक्षा में परिवर्तन अति आवश्यक है।

आज शिक्षा का उद्देश्य सर्वांगीण विकास न होकर केवल रोज़गार प्राप्त करने तक सीमित रह गया है। आज की शिक्षा का स्वरुप केवल औपचारिक मात्र ही है जिसमें चारित्रिक संपदा एवं मूल्यों का नितांत अभाव पाया जाता है। वर्तमान शिक्षा अत्यधिक खर्चीली एवं महँगी भी है, जो विदेशी संस्कृतियों से प्रभावित है। यह मानव जीवन के वास्तविक लक्ष्यों से कहीं दूर है। आज कि शिक्षा केवल धनार्जन तक ही सीमित रह गई है एवं समाज में फैली समस्याओं व विभिन्न दुखों के निवारण से कहीं दूर चली गई है। इसका बल गुणात्मक विकास के बजाय मात्रात्मक विस्तार पर ही रह गया है। विभिन्न अवसंरचनात्मक एवं संसाधनों का अभाव इस समस्या को और गंभीर बनाता है।

आज जरुरत है कि वर्तमान में प्रचलित शिक्षा के स्वरुप को वास्तविक शिक्षा से जोड़ा जाए। अगर इसमें व्याप्त विभिन्न कमियों को दूर कर लिया जाए तो वर्तमान शिक्षा का स्वरुप भी परिवर्तित होकर पूर्ण वास्तविक शिक्षा में बदल सकती है। इसके लिये निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान देने की आवश्यकता है-

- आवश्यक अवसरंचना का निर्माण
- राष्ट्रप्रेम एवं राष्ट्रभक्ति का समन्वय
- संस्कारों पर विशेष बल
- शिक्षा के दायरे को विस्तृत करना
- व्यवहारिक शिक्षा की ओर ध्यान
- नैतिक शिक्षा पर जोर (धर्म एवं मानवीय मूल्य युक्त)
- मूल्य आधारित पाठ्यक्रम
- चरित्र निर्माण

वास्तविक शिक्षा वह अवधारणा है जिसके द्वारा वर्तमान शिक्षा की कमियों को दूर करते हुए जीवन को पूर्ण और सार्थक बनाया जा सकता है। इसके द्वारा शिक्षा क्षेत्र में सुधार कर एक बड़ी क्रांति लाई जा सकती है। शिक्षा के निर्माण के समय हमें वास्तविक शिक्षा की महत्ता पर जोर देने की आवश्यकता है क्योंकि वास्तविक शिक्षा मनुष्य के विकास की अभिव्यक्ति है।

सचिन शर्मा
कनिष्ठ कार्यालय सहायक (मा.सं.)

एक मज़बूत और सुरक्षित साइबर प्रणाली : वर्तमान की अपरिहार्य आवश्यकता!

सरकारी स्तर पर भले ही आज "डिजिटल इंडिया" जैसे कार्यक्रमों की बदौलत इंटरनेट की तथा इससे जुड़े लाभों की चर्चा ज्यादा हो रही हो, किंतु भारत जैसे देश में भी बड़ी आबादी दशक भर से भी अधिक समय से इस प्रणाली को अपने दैनिक जीवन का अभिन्न हिस्सा बनाए हुए हैं। बात चाहे ई-मेल के माध्यम से संदेश आदान-प्रदान करने की हो या अपने बिलों के भुगतान की, ऑनलाइन खरीदारी की हो या नौकरियों के लिये आवेदन की, बैंकिंग सुविधाओं का लाभ उठाने की हो अथवा रेलवे या हवाई जहाज़ों के टिकट बुक करने की, सब चीजों में इंटरनेट का इस्तेमाल भारत में लंबे अरसे से हो रहा है। इसके अतिरिक्त, सोशल मीडिया व स्मार्ट फोन (विशेषकर कम कीमत वाले) के आने से इस क्षेत्र में एक किस्म का समाजवाद सा ला दिया है।

कहना मुश्किल है कि यदि मात्र एक दिन के लिये भी फेसबुक अथवा व्हाट्सएप की सुविधा बंद कर दी जाए तो अधिक समस्या किस आयुवर्ग के लोगों को पेश आएगी, क्योंकि लगभग सभी आयुवर्ग के लोग सरलता और कुशलता से इसका खासा इस्तेमाल कर रहे हैं। अब चूँकि आमजन के सरोकार तथा निर्भरता इस प्रणाली पर संवेदनशीलता के स्तर तक बढ़ गई है, इसका मज़बूत और सुरक्षित होना भी उसी हद तक ज़रूरी हो गया है। आज एक ऐसा समय आ गया है जब साइबर प्रणाली में कुछ देर की गड़बड़ी भी अरबों-खरबों के नुकसान और अनेक अन्य जटिलताओं का कारण बन सकती है।

अपने आरंभिक दौर में विलासित लगने वाली कोई चीज़ एक अरसे के बाद किसी भी अन्य सामान्य ज़रूरत की भाँति हमारे जीवन की आवश्यकता बन जाती है। ऐसा ही इंटरनेट और अन्य साइबर सुविधाओं के साथ भी है। हालाँकि भारत इस मामले में कुछ हद तक अभी भी संक्रमण काल से गुज़र रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ अनेकों सुविधाओं का कुछ प्रतिशत भाग ही डिजिटल हो पाया है तथा एक बड़ा तबका आज भी उन कार्यों को करने के लिये परंपरागत (अर्थात् ऑफलाइन) तरीकों का ही इस्तेमाल करता है। इसका एक कारण यह है कि एक बड़े तबके तक कंप्यूटर अथवा इंटरनेट तो छोड़िये, बिजली जैसी आधारभूत चीज़ भी हम अब तक नहीं पहुँचा पाए हैं। खैर, आज नहीं तो कल ऐसा कर देंगे तथा तब यह और भी ज्यादा आवश्यक हो जाएगा कि हमारी साइबर प्रणाली मज़बूत के साथ-साथ सुरक्षित भी हो।

कोई चीज हमारे लिये महत्त्वपूर्ण बन चुकी है, यह जानने के लिये ज़रूरी है कि एक बार उसके बिना जीवन की एक कच्ची सी कल्पना की जाए। ऐसी ही एक कल्पना मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ:

यदि हमारी साइबर प्रणाली किसी वजह से काम करना बंद कर दे तो-

- हमारी बैंकिंग व्यवस्था चरमरा जाएगी।
- हमारा शेयर बाज़ार पूरी तरह ठप हो जाएगा।
- हमारी संचार व्यवस्था (मोबाइल, टेलीफोन), प्रसारण व्यवस्था (रेडियो, टीवी, सिनेमा) काम करना बंद कर देगी।
- नौवहन प्रणाली के बिना हमारा रेल, वायु यातायात आदि संचालित नहीं हो पाएगा।
- कंपनियों द्वारा ऑनलाइन ट्रेडिंग संभव नहीं होगी।
- इस पर निर्भर अनुसंधान के हमारे कार्य (विशेषकर अंतरिक्ष अनुसंधान से जुड़े) रुक जाएंगे।

उपरोक्त बिंदुओं से साइबर प्रणाली के दुरूस्त रहने के महत्त्व का एक सामान्य अनुमान सहज ही लगाया जा सकता है। हालाँकि ये अनुमान साइबर प्रणाली के कार्य करना बंद कर देने से संबंधित थे, जबकि इसका एक अन्य पहलू है- किसी खराबी या अन्य गड़बड़ी के चलते इसका गलत ढंग से कार्य करने लगना, ऐसा होने पर परिणाम कितने भयानक हो सकते हैं इसका तो अनुमान भी कल्पना से परे लगता है।

साइबर प्रणाली में गड़बड़ी किसी तकनीकी खराबी का परिणाम भी हो सकती है तथा किसी बाहरी हस्तक्षेप का भी, जिसे कंप्यूटर की भाषा में साइबर हमला कहा जाता है।

एक नियोजित तरीके से अंजाम दिया गया साइबर हमला बिना आवाज़ किये शत्रु को पस्त करने की ताकत रखता है। इस तरीके से अपनी लेशमात्र की जनहानि के बिना हम शत्रु का एक बड़ा नुकसान करके "हींग लगे न फिटकरी, रंग चोखा का चोखा" वाली कहावत को चरितार्थ कर सकते हैं।

ये हमले यदि केवल आर्थिक हानि पहुँचाते हों तो एक दफा इन्हें सहन भी किया जा सकता है, किंतु आजकल साइबर जासूसी की अवधारणा ने लोगों की निजता और देशों की राष्ट्रीय सुरक्षा तक को खतरे में डाल दिया है।

साइबर संसार की चुनौतियों में एक और चुनौती सोशल मीडिया साइटों के बाद से पैदा हुई है, वह है झूठी अथवा तेज़ी से माहौल बिगाड़ने में सक्षम संवेदनशील खबरों का शीघ्रता से प्रसार। कितनी ही बार सोशल मीडिया पर वायरल हुई इन संवेदनशील खबरों के चलते देश का सांप्रदायिक माहौल बिगड़ने का खतरा पैदा हो चुका है।

अब बात करते हैं इन चुनौतियों से निपटने की जिसके लिये हमें साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों की ज़रूरत होगी। यहाँ भी हालात कुछ संतोषजनक दिखाई नहीं देते। विश्व में भले ही भारत को एक आईटी सुपरपावर के तौर पर देखा जाता हो किन्तु राष्ट्रीय समाचार-पत्र में छपी एक खबर के मुताबिक भारत के पास बेहद कम साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ हैं जबकि हमें ऐसे लाखों विशेषज्ञों की आवश्यकता है।

हमें समझना होगा कि जिस प्रकार हम अपने रक्षा बजट में किसी प्रकार की कोई कसर नहीं छोड़ते, उसी प्रकार सुरक्षा के लिहाज़ से इसे भी एक ऐसा मोर्चा मानना होगा जिसे अनदेखा छोड़ने के परिणाम घातक हो सकते हैं।

इस मोर्चे पर वीरता के स्थान पर तकनीक की समझ हमें बचाएगी और हमें इस तकनीकी समझ वाले लोगों की एक फौज उसी तरह तैयार करने की ज़रूरत है जैसे चीन, अमेरिका अथवा रूस जैसे देशों ने तैयार की है, तभी हम चहुँओर से अपने सुरक्षित होने का दावा कर सकेंगे। हालाँकि ऐसा भी नहीं है कि भारत ने इस चुनौती को पूर्णत: अनदेखा छोड़ दिया हो।

वर्ष 2004 में ही हमने साइबर सुरक्षा संबंधी चुनौतियों से निपटने के लिये "इंडियन कंप्यूटर एमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम" (जिसे प्रचलित रूप से सीईआरटी-इन के नाम से जाना जाता है) नाम के एक समर्पित अभिकरण का गठन कर लिया था जो समय-समय पर साइबर सुरक्षा से जुड़े विभिन्न उपायों को लागू करता रहता है। ऐसी ही एक पहल इस संस्था ने इस साल फरवरी में 'साइबर स्वच्छता केंद्र' की शुरुआत करके की। 'साइबर स्वच्छता केंद्र' का कार्य डेस्कटॉप और मोबाइल के लिये सिक्योरिटी सॉल्यूशन प्रदान करना है। इसके अलावा, एक श्रेणी एथिकल हैकर्स की भी है जो अपने तकनीकी ज्ञान व प्रतिभा का इस्तेमाल ऐसे हमलों को नाकाम करने में करते हैं। हालाँकि, ऐसे एथिकल हैकर्स की पहचान करना मुश्किल है किंतु भारत में इनकी एक मज़बूत उपस्थिति अवश्य है। अन्य सजग देशों की भाँति भारत को भी संभावित साइबर हमलों व इनसे जुड़ी अन्य गड़बड़ियों से निपटने के लिये और अधिक संस्थागत प्रयासों की ज़रूरत है तभी हम भरोसे के साथ डिजिटलीकरण के लाभों को व्यापक जनसमूह तक पहुँचा पाएंगे।

सचिन तुकाराम पगारे
पर्यवेक्षक (आर. एंड डी.)

गतिविधिक झलकियाँ

निगम कार्यालय की सीएसआर. सम्बन्धी गतिविधियाँ

गतिविधिक झलकियाँ

निगम कार्यालय द्वारा काव्यपाठ प्रतियोगिता का आयोजन

संयुक्त राजभाषा प्रशिक्षण एवं सम्मेलन तथा संयुक्त हिन्दी कार्यशाला

राष्ट्रीय व्यवहार में हिंदी को काम में लाना देश की एकता और उन्नति के लिए आवश्यक है।

– महात्मा गांधी

भारत प्रतिभूति मुद्रण तथा मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड

मिनीरत्न श्रेणी-I, सीपीएसई

(भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्वाधीन)

16वीं मंजिल, जवाहर व्यापार भवन, जनपथ, नई दिल्ली-110001